मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

वर्ष 11
अंक 08
मूल्य ₹50/-

BRICS शिखर सम्मेलन

दिल्ली में बदलती वैश्विक कूटनीति का मंच





मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ विरोध-प्रदर्शन

चुनावी व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल

शिक्षक दिवस

एक शिक्षक, टूटा स्कूल और अधूरे सपनों की कक्षा

बिना पंखे, टूटे-फूटे फर्श और सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाता एक गरीब गाँव का शिक्षक

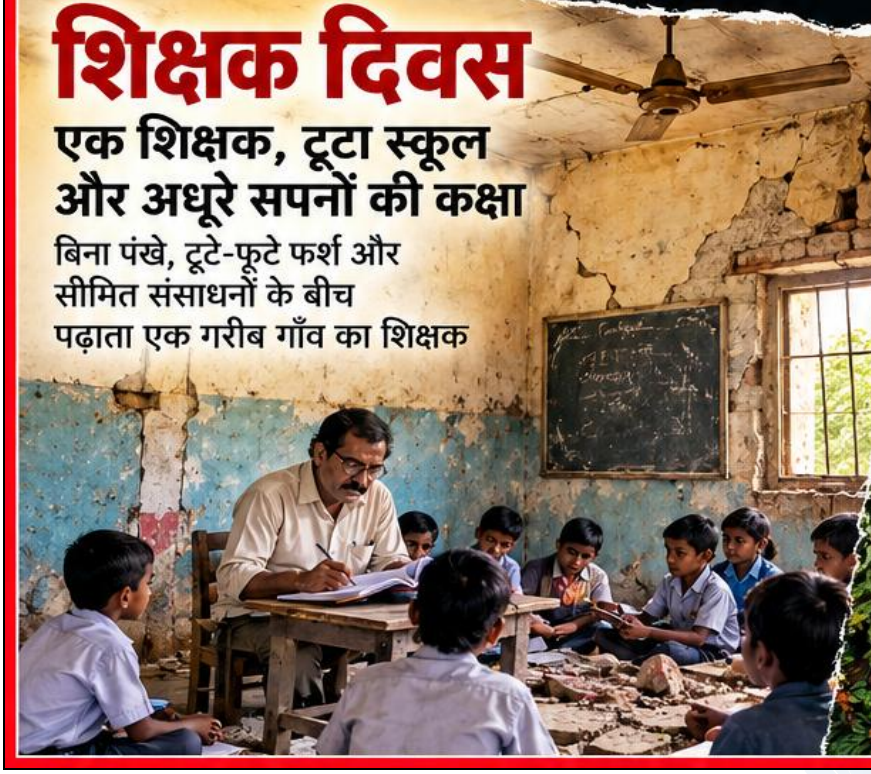

हिंदी दिवस

अंग्रेज़ी के दबदबे में पिछड़ती हिंदी?

भाषा, अवसर और बदलते भारत में हिंदी की चुनौती



: हम क्यों :

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारे समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्व धर्म समभाव की भावना पर आधारित है।

मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सुजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है। हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है, जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उत्तरदायी विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।



समावेशी समाज | विचारों का विस्तार | मूल्य-आधारित संवाद | जागरूक नागरिकता | बेहतर भारत के लिए

सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म

@mediamapnetwork

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

संपादकीय सलाहकार मंडल

प्रो. बलदेवराज गुप्त

के. बी. मथुरा

डॉ. सलीम खान

डॉ जॉन दयाल

प्रो. अविनाश सिंह

प्रधान संपादक

प्रदीप माथुर

संयुक्त संपादक - डॉ. सतीश मिश्र

सहायक सम्पादक - जगदीश गौतम

तकनीकी संपादक - राजीव माथुर

प्रबंध संपादक -चन्द्र कुमार

विधि परामर्शदाता-संजय माथुर

पंजीकृत एवं संपादकीय कार्यालय 69 - ज्ञानखंड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद 201014 उत्तर प्रदेश
दूरभाष - 0120 - 3248535
जन संपर्क अधिकारी मो. 9910322682

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, एवं संपादक प्रदीप माथुर द्वारा- वर्ल्ड विंडो डिजिटल प्रेस, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001 से मुद्रित एवं मीडिया मैप प्रकाशन - 69 - ज्ञानखंड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद 201014 उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

इस पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारी, लेखकगण व अन्य सहयोगीगण समाज हित में बगैर किसी पारिश्रमिक या वेतन के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता हैं।

इस अंक में प्रकाशित समस्त फीचर व समाचार के लेखकों के अपने स्वतंत्र विचार हैं, जिससे स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।

अनुक्रमणिका

- संपादकीय (2)
- अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच (4)
- शिक्षक दिवस: शिक्षक की बदलती भूमिका (6)
- हिंदी दिवस: युवा पीढ़ी की भाषा और अवसर (7)
- मोदी का जन्मदिन समारोह (8)
- मोदी की चमक-दमक और संघ की चमक-दमक (9)
- भारत की चुनावी मुद्रा पर आखिर किसका नियंत्रण है? (11)
- SIR पर हमला: वोटर लिस्ट की सफ़ाई या वोट देने का अधिकार पर प्रहार? (16)
- जब हिमालय के केरल में तबाही मची तो नेपाल में तबाही मच गई (20)
- कार्बन क्रेडिट: हमारे कैपिटल मार्केट के लिए निवेश का नया उपकरण (22)
- UPI भुगतान: प्रश्न यह है कि मुफ़्त डिजिटल बैलेंस का खर्च कितना होगा? (25)
- पंजाब की राजनीति: इतिहास, पहचान और... (29)
- तृतीय डॉ. रमा सहारिया स्मृति पुरस्कार समारोह (33)

RNI No: UPHIN/2016/68336 Website: www.mediamap.co.in Email:editor@mediamap.co.in

संपादकीय

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: आगे की राह

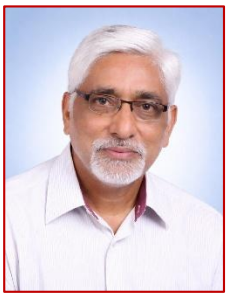

प्रो प्रदीप माथुर

संघर्षों से जूझती उस दुनिया में, जहां अनेक देशों में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं और विश्व-दृष्टि लगातार संकीर्ण तथा सांप्रदायिक होती जा रही है, नई दिल्ली में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ताजी हवा के झोंके जैसा रहा। सबसे आशावादी व्यक्ति के लिए भी यह कल्पना करना कठिन था कि अपनी धारणाओं, प्राथमिकताओं और संकीर्ण हितों के मामले में एक-दूसरे से गहराई से विभाजित देशों का यह समूह अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों पर सहमति व्यक्त करने वाली संयुक्त घोषणा जारी कर सकेगा। इसकी संभावना इसलिए भी कम लग रही थी क्योंकि शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए जून में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त घोषणा के मसौदे पर सहमति बनाने में विफल रही थी।

संयुक्त घोषणा पर सहमति बनाने में अनेक विश्व नेताओं की भूमिका रही होगी और इसका श्रेय भी उन्हें दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा श्रेय मेजबान देश भारत और उसके नेतृत्व को जाता है। लेकिन अंततः जो भावना प्रभावी रही, वह ऐसी दुनिया की साझा आकांक्षा थी जो अधिक समानतापूर्ण, संतुलित और समावेशी हो तथा कम कट्टर, कम टकरावपूर्ण और कम शोषणकारी हो। भले ही इसे स्पष्ट शब्दों में न कहा गया हो, लेकिन विचार-विमर्श और संयुक्त घोषणा के मसौदे से यह संकेत जरूर मिला कि ब्रिक्स के बड़े देश—चीन, रूस और भारत—कम भाग्यशाली देशों की सहायता करने तथा दुनिया को अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और रहने योग्य बनाने के लिए अधिक जिम्मेदार भूमिका निभाने को तैयार हैं।

संयुक्त घोषणा में कुछ महत्वपूर्ण आश्चर्य भी सामने आए। इनमें एक था पश्चिम एशिया के दो देशों—ईरान और संयुक्त अरब अमीरात—का एक ही घोषणा पर सहमत होना, जबकि ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका-इजराइल युद्ध के संदर्भ में दोनों की स्थितियां अलग-अलग रही हैं। दोनों के बीच समझौते का रास्ता किसने तैयार किया, यह केवल अंदरूनी तौर पर जुड़े लोग ही बता सकते हैं। बाहर से देखने पर यह चीन और भारत के संयुक्त प्रयास जैसा प्रतीत होता है, जिन्होंने उन दोनों पक्षों के बीच समझ बनाने की कोशिश की, जिनके संबंध संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों के कारण टकरावपूर्ण हो गए थे।

लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य नई दिल्ली के रुख में आया बदलाव था। माना जा रहा था कि भारत इजराइल के इतना करीब है कि गाजा के असहाय लोगों के खिलाफ इजराइली सैन्य कार्रवाई की आलोचना करने वाली किसी सर्वसम्मत घोषणा का समर्थन करना उसके लिए कठिन होगा। इसी तरह संयुक्त घोषणा में दिखाई देने वाले स्पष्ट अमेरिकी-विरोधी स्वर को भारत का समर्थन मिलना भी कुछ हद तक सुखद आश्चर्य था। इससे उन चर्चाओं को विराम मिला कि भारत की विदेश नीति अमेरिकी दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

संभवतः ऊर्जा की जरूरतों तथा नवीनतम मिसाइल तकनीक के लिए रूस का भारत के साथ बने रहना और गैर-डॉलर माध्यमों से आपसी व्यापार की बढ़ती संभावनाओं ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों और शुल्कों को

लेकर नई दिल्ली की सोच में बदलाव लाया है। अमेरिका को लाभकारी साझेदार मानने और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मित्र समझने की नीति पर भी अब नए सिरे से विचार होता दिखाई देता है। चीन के साथ संबंधों में आई नरमी भी दक्षिण ब्लॉक के नीति-निर्माताओं की विश्व-दृष्टि में बदलाव का संकेत है।

वास्तव में, बहुध्रुवीय होती दुनिया में डॉलर का महत्व धीरे-धीरे कम हो रहा है और ब्रिक्स की संयुक्त घोषणा इस बात का पर्याप्त संकेत है कि भारतीय नीति-निर्माताओं ने इस बदलती वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद ब्रिक्स देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि आगे की दिशा क्या हो। यह आवश्यक है कि वे डी-डॉलराइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। यदि अमेरिका की वित्तीय शक्ति के एकाधिकार को सफलतापूर्वक चुनौती मिलती है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कारोबार की अनेक विसंगतियां दूर हो सकती हैं। इसका विश्व की भू-राजनीति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लेकिन इसके लिए ब्रिक्स देशों, विशेषकर बड़े और शक्तिशाली देशों को छोटे देशों के प्रति अधिक उदार, सहयोगी और संवेदनशील रुख अपनाना होगा। दुनिया को बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण बनाने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब ब्रिक्स के नेता उस वर्चस्ववादी मानसिकता को त्यागें, जिसे पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेशवाद के युग के समाप्त होने के लंबे समय बाद भी बनाए रखा है।

जीवनसार

सितम्बर माह: पीछे देखकर आगे बढ़ने का समय

जगदीश गौतम

सितंबर वर्ष का वह पर्यवेक्षण करता है, जब समय हमें कुछ देर रात तक पीछे देखने और आगे की राह पर विचार करने का अवसर देता है। वर्ष के आठ महीने में अंतिम तिथियां होती हैं और शेष महीनों की औसत दर्जे की महसूस होती है। यह मूल्य केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि जीवन की गति को समझने और अपनी छवि को फिर से तय करने का अवसर भी है।

यह हमें आपके रिश्ते को भी देखने का मौका देता है। भागती हुई जिंदगी में हम अक्सर लोगों के लिए समय नहीं निकालते, जो असल में हमारे जीवन का आधार होते हैं। सितंबर हमें याद रखें कि सफलता केवल एक प्रस्ताव का नाम नहीं है। समय के साथ-साथ, किसी भी तरह की दुआ की मदद से, किसी दुखी व्यक्ति को भरोसा दिया जाता है और उसके अंदर भी जीवन की बड़ी सामग्रियां दी जाती हैं।

जीवन सदैव हमारे साथ रहे। कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ विचित्र रह जाते हैं; कुछ लोग साथ रहते हैं और कुछ रास्ते में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हर अनुभव हमारे अंदर से छोटी और मजबूत रचना है। सितंबर में इसी आदर्श का मूल्य है—बीते हुए को सम्मान देना, वर्तमान को भविष्य बनाना और बनाए रखने कीअपेक्षा करना।

शायद जीवन का वास्तविक सार भी यही है कि हम हर बीते महीने के साथ केवल उम्र न लक्षण, बल्कि समझ, संवेदना, अनुभव और इंसानियत भी दिखाते हैं। सितंबर हमें यही छोटी-सी सीख और अधिक बढ़ गई है—समय कम नहीं हुआ है, बल्कि अब उसे अधिक सार्थकता से जीने की जरूरत है।

ब्रिटेन के विघटन के संकेत

प्रो प्रदीप माथुर

कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में गिना जाने वाला ब्रिटेन आज स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कई गंभीर सवालों से जूझ रहा है। यूनाइटेड किंगडम—जिसे सामान्यतः ब्रिटेन कहा जाता है—इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। इन चारों हिस्सों का राजनीतिक और संवैधानिक संबंध लंबे समय से बहस का विषय रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की मांग, उत्तरी आयरलैंड में आयरिश एकीकरण को लेकर चर्चा और वेल्स में बढ़ती राजनीतिक स्वायत्तता की मांग ने इस बहस को नया आयाम दिया है।

सवाल यह नहीं है कि ब्रिटेन तत्काल टूटने जा रहा है या नहीं। वास्तविक सवाल यह है कि क्या उसके संघीय ढांचे के भीतर ऐसी राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां मजबूत हो रही हैं जो आने वाले वर्षों में यूनाइटेड किंगडम के स्वरूप को बदल सकती हैं?

स्कॉटलैंड का सवाल

ब्रिटेन के भविष्य की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्कॉटलैंड है। 2014 में स्कॉटलैंड में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हुआ था। उस समय मतदाताओं ने यूनाइटेड किंगडम के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया। लेकिन स्वतंत्रता की बहस वहीं समाप्त नहीं हुई।

ब्रेक्सिट के बाद यह प्रश्न फिर उभरा कि क्या स्कॉटलैंड की राजनीतिक प्राथमिकताएं इंग्लैंड की प्राथमिकताओं से अलग होती जा रही हैं। 2016 के यूरोपीय संघ जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड के अधिकांश मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने का समर्थन किया था, जबकि पूरे यूनाइटेड किंगडम का परिणाम यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में गया।

यही अंतर स्कॉटिश राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तर्क बना। स्कॉटिश नेशनल पार्टी और स्वतंत्रता समर्थक समूहों का तर्क रहा है कि स्कॉटलैंड को अपने भविष्य पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार और संघ समर्थक दल यूनाइटेड किंगडम की एकता और साझा आर्थिक-सामाजिक ढांचे को महत्वपूर्ण मानते हैं।

उत्तरी आयरलैंड की अलग परिस्थिति

उत्तरी आयरलैंड का प्रश्न स्कॉटलैंड से अलग है। यहां बहस केवल प्रशासनिक स्वायत्तता की नहीं, बल्कि ब्रिटेन के साथ संबंध और आयरलैंड गणराज्य के साथ संभावित एकीकरण की भी है।

1998 के Good Friday Agreement ने दशकों के संघर्ष के बाद उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक व्यवस्था को नया आधार दिया। समझौते में संवैधानिक स्थिति को लेकर जनता की सहमति के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

ब्रेक्सिट के बाद आयरिश सीमा, व्यापार व्यवस्था और उत्तरी आयरलैंड की संवैधानिक स्थिति को लेकर बहस और जटिल हुई है। हालांकि इन परिस्थितियों को सीधे तौर पर किसी निश्चित भविष्य के परिणाम का

संकेत मानना उचित नहीं होगा। उत्तरी आयरलैंड की राजनीतिक स्थिति कई सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक कारकों पर निर्भर करती है।

वेल्स में भी बदल रही राजनीति

ब्रिटेन के विघटन की चर्चा अक्सर स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड तक सीमित रहती है, लेकिन वेल्स में भी राजनीतिक स्वायत्तता को लेकर बहस बढ़ी है। वेल्स में स्वतंत्रता का समर्थन स्कॉटलैंड की तुलना में कम रहा है, फिर भी वहां अधिक अधिकारों और राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति की मांग लगातार चर्चा में रही है।

यह बदलाव बताता है कि ब्रिटेन की संवैधानिक बहस केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सवाल धीरे-धीरे इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि सत्ता का वितरण लंदन और यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न हिस्सों के बीच किस प्रकार होना चाहिए।

आर्थिक असमानता भी एक मुद्दा

राजनीतिक पहचान के साथ आर्थिक प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। लंदन और दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति लंबे समय से ब्रिटेन के अन्य हिस्सों की तुलना में अलग रही है। क्षेत्रीय असमानता, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति, सार्वजनिक निवेश और स्थानीय आर्थिक विकास जैसे मुद्दे ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

जब किसी संघ के अलग-अलग हिस्सों में आर्थिक अनुभव अलग-अलग होते हैं, तो राजनीतिक असंतोष को नई ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि आर्थिक असमानता अपने आप में किसी देश के विघटन का प्रमाण नहीं होती। उसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसमर्थन और संवैधानिक प्रक्रिया जैसे कई अन्य तत्व भी आवश्यक होते हैं।

पहचान की राजनीति

ब्रिटेन की वर्तमान बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू पहचान भी है। स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश और ब्रिटिश पहचान कई लोगों के लिए एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि साथ-साथ मौजूद हैं। लेकिन राजनीतिक आंदोलनों के स्तर पर राष्ट्रीय पहचान का प्रश्न अधिक प्रभावशाली हो सकता है।

यूरोप में पिछले कुछ दशकों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान की राजनीति मजबूत हुई है। ब्रिटेन भी इस व्यापक प्रवृत्ति से अलग नहीं है। प्रश्न यह है कि आने वाले समय में ब्रिटिश पहचान और क्षेत्रीय राष्ट्रीय पहचानों के बीच संतुलन किस प्रकार विकसित होता है।

क्या विघटन निश्चित है?

यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि यूनाइटेड किंगडम का विघटन निश्चित है। ब्रिटेन के भीतर संघ समर्थक राजनीतिक शक्तियां अभी भी महत्वपूर्ण हैं और यूनाइटेड किंगडम की साझा संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और राजनीतिक ढांचा मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, किसी भी संवैधानिक बदलाव के लिए राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। स्वतंत्रता या संवैधानिक पुनर्गठन केवल जनभावना से स्वतः लागू नहीं हो जाता।

इसलिए "ब्रिटेन का विघटन" आज की स्थिति का निश्चित वर्णन नहीं, बल्कि एक संभावित संवैधानिक बहस का विषय है।

आने वाला समय क्या बताएगा?

ब्रिटेन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न शायद यह नहीं है कि वह टूटेगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह अपने संघ को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकता है। क्या अधिक विकेंद्रीकरण क्षेत्रीय असंतोष को कम करेगा? क्या आर्थिक असमानताओं को कम करने के प्रयास संघ को मजबूत कर सकते हैं? क्या स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की संवैधानिक आकांक्षाओं को मौजूदा व्यवस्था के भीतर पर्याप्त स्थान मिल पाएगा?

शिक्षक दिवस सितम्बर 5

शिक्षक दिवस: शिक्षक की बदलती भूमिका

जगदीश गौतम

हर वर्ष 5 सितंबर को देश शिक्षक दिवस मनाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षाविद्, दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित है। लेकिन शिक्षक दिवस का वास्तविक अर्थ केवल शिक्षकों को शुभकामनाएं देने या विद्यालयों में समारोह आयोजित करने तक सीमित नहीं है। यह अवसर हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि आज की बदलती दुनिया में शिक्षक की भूमिका क्या है और शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए।

एक समय था जब शिक्षक ज्ञान का लगभग एकमात्र स्रोत हुआ करते थे। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक और शिक्षक के माध्यम से दुनिया को समझता था। आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ज्ञान को विद्यार्थियों की उंगलियों तक पहुंचा दिया है। एक क्लिक पर हजारों जानकारियां उपलब्ध हैं। ऐसे में शिक्षक का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।

आज शिक्षक को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि सही उत्तर क्या है। उसे यह भी सिखाना है कि सही प्रश्न कैसे पूछा जाए, उपलब्ध सूचनाओं में सत्य और भ्रम की पहचान कैसे की जाए और किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार कैसे किया जाए। सूचना के इस दौर में विवेकपूर्ण सोच और आलोचनात्मक दृष्टि शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना नहीं हो सकता। यदि शिक्षा व्यक्ति को संवेदनशील, जिम्मेदार और विवेकशील नागरिक नहीं बनाती तो उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शिक्षक इसी स्तर पर समाज के भविष्य को प्रभावित करता है। वह विद्यार्थियों में अनुशासन, सहिष्णुता, ईमानदारी, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करता है।

आज के विद्यार्थी पहले की तुलना में अधिक सवाल पूछते हैं। उनके सामने करियर के विकल्प भी अधिक हैं और चुनौतियां भी। सोशल मीडिया ने उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित किया है। मानसिक दबाव, प्रतियोगिता, रोजगार की चिंता और तेजी से बदलती तकनीक उनके जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे वातावरण

में शिक्षक केवल विषय पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं रह सकता। उसे मार्गदर्शक, संवादकर्ता और कई बार प्रेरक की भूमिका भी निभानी पड़ती है।

तकनीक ने शिक्षा को नया स्वरूप दिया है, लेकिन तकनीक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। मशीन जानकारी दे सकती है, लेकिन विद्यार्थी की परिस्थिति को समझना, उसकी क्षमता पहचानना और उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा करना मानवीय संबंधों से ही संभव है। आने वाले समय में शिक्षा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम तकनीक और शिक्षक की मानवीय भूमिका के बीच कितना संतुलन स्थापित कर पाते हैं।

इसके साथ ही शिक्षकों की अपनी समस्याओं और चुनौतियों पर भी चर्चा जरूरी है। बढ़ता प्रशासनिक काम, बदलता पाठ्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता और विद्यार्थियों की नई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक जरूरतें शिक्षक के काम को पहले से अधिक जटिल बना रही हैं। यदि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं तो शिक्षकों को केवल जिम्मेदारियां देना पर्याप्त नहीं होगा; उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन और सम्मानजनक कार्य वातावरण भी उपलब्ध कराना होगा।

शिक्षक दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि शिक्षक का सम्मान केवल एक दिन का आयोजन नहीं होना चाहिए। किसी शिक्षक को वास्तविक सम्मान तब मिलता है जब समाज उसके ज्ञान, श्रम और जिम्मेदारी को समझता है। एक शिक्षक की सफलता केवल उसके विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में नहीं, बल्कि उन विद्यार्थियों के चरित्र, दृष्टिकोण और सामाजिक योगदान में भी दिखाई देती है।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा होता है और शिक्षा व्यवस्था की आत्मा शिक्षक होता है। विद्यालय की इमारत, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल सुविधाएं आवश्यक हैं, लेकिन इन सबको सार्थक दिशा देने वाला व्यक्ति शिक्षक ही है।

इसलिए शिक्षक दिवस पर हमें केवल यह नहीं कहना चाहिए कि **"शिक्षक हमारे मार्गदर्शक हैं"**, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें वह वातावरण मिले जिसमें वे आने वाली पीढ़ी को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।

शिक्षक ज्ञान का माध्यम ही नहीं, समाज के भविष्य का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण शिल्पकार है। उसके हाथ में केवल किताब नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच, संवेदना और दिशा भी होती है।

शायद शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है—एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव उसकी कक्षा से कहीं आगे तक जाता है और कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है।

समाचार सरिता

हिंदी दिवस: युवा पीढ़ी की भाषा और अवसर

हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक मंचों पर हिंदी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भाषण दिए जाते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं और हिंदी के व्यापक उपयोग का संकल्प लिया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस का वास्तविक अर्थ इन औपचारिकताओं से आगे जाकर अपनी भाषा की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर

विचार करना है।

हिंदी आज करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति और संवाद की भाषा है। साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा और डिजिटल मीडिया ने हिंदी को व्यापक मंच दिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में युवा पीढ़ी हिंदी को नए अंदाज में प्रयोग कर रही है। हिंग्लिश, शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट इसके उदाहरण हैं। हालांकि युवाओं के सामने एक व्यावहारिक चुनौती भी है। उच्च शिक्षा, तकनीक, कॉरपोरेट क्षेत्र और अनेक रोजगारों में अंग्रेज़ी का प्रभाव उन्हें अंग्रेज़ी सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में कई युवा हिंदी को अपनी भावनाओं और दैनिक संवाद की भाषा तो मानते हैं, लेकिन करियर और अवसरों की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी को प्राथमिकता देते हैं।

यह स्थिति अंग्रेज़ी के विरोध का प्रश्न नहीं, बल्कि भाषाई समान अवसर का प्रश्न है। युवाओं को अंग्रेज़ी सहित अन्य भाषाएँ सीखने के अवसर मिलें, लेकिन हिंदी में भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और रोजगार संबंधी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

हिंदी दिवस का संदेश युवाओं तक तभी प्रभावी ढंग से पहुंचेगा, जब हिंदी को केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं से जोड़ा जाए। युवा पीढ़ी हिंदी को डिजिटल युग की आधुनिक, रचनात्मक और ज्ञान-समृद्ध भाषा बनाए—यही हिंदी दिवस की सार्थकता हो सकती है।

मोदी का जन्मदिन समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर वर्ष राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ सार्वजनिक चर्चा का विषय बनता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संगठनों की ओर से देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें सेवा कार्य, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर तथा जनसंपर्क गतिविधियां प्रमुख रहती हैं।

समाचार सरिता के लिए यह अवसर केवल जन्मदिन समारोह की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने का भी विषय है। जन्मदिन के आयोजनों के माध्यम से प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन, सरकार की नीतियों और उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों कोजनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। समर्थक इन कार्यक्रमों को सेवा और जनकल्याण से जोड़ते हैं, जबकि आलोचक राजनीतिक प्रचार और व्यक्तिकेंद्रित राजनीति के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाते रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के लंबे सार्वजनिक जीवन और सक्रिय राजनीतिक भूमिका के कारण उनका जन्मदिन राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बन जाता है। समाचार सरिता के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसे आयोजनों को केवल उत्सव के रूप में देखा जाए या इनके माध्यम से राजनीति, जनसंपर्क और शासन की बदलती शैली को भी समझा जाए।
इस दृष्टि से मोदी का जन्मदिन समारोह भारतीय राजनीति में उत्सव, सेवा और राजनीतिक संचार के बदलते स्वरूप को देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

जगदीश गौतम

मोहन भागवत की यात्रा: अमेरिका में गिरते जनसमर्थन को बचाने का प्रयास

मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क

प्रचारकों की छवि में सहयोगियों की कोशिश के बीच संघ का सबसे बड़ा सवाल- क्या बातचीत से बातचीत काफी है, या आलोचकों को भी जवाब देना होगा?

बारह साल पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में आई भाजपा सरकार के साथ सिर्फ भारत में ही नहीं, निर्देशकों में एशियाई मूल के भारतीयों के एक बड़े और प्रभावशाली वर्ग ने भी अलग पहचान बनाई थी। अमेरिका में समृद्ध भारतीय समुदाय के एक हिस्से ने मोदी और संघ परिवार के हिंदुत्व और 'हिंदू राष्ट्र' के विचार का खुलकर समर्थन किया। इस समर्थन में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की छवि को दर्शाया गया है और संघ परिवार को यह विश्वास भी दिलाया गया है कि भारत की सीमा से बहुत आगे तक पहुंच चुका है।



लेकिन अब तस्वीर पहले जैसी नहीं है। मोदी सरकार के प्रति आकर्षण और राजनीतिक करिश्मा में कमी की चर्चा केवल विचारधारा या सरकार के आलोचकों तक सीमित नहीं है। भारतीय समुदाय के अंदर भी भारत की राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बहस तेज हो गई है।

इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। भारत में धार्मिक पहचान से जुड़ा विवाद, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल और अल्पसंख्यकों की राजनीति को लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय चिंता ने पश्चिमी देशों के उदारवादी और नागरिक अधिकार नियोजन को सक्रिय किया है। इन बहसों का असर भारतीय-अमेरिकियों पर भी पड़ा है जो अब भारत की व्यवस्थाओं और उनकी राजनीति को अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं।

इसी तरह बदले हुए हैं, रोमन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भागवत मोहन की अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा को शामिल करना चाहिए। संघ ने इसे अपने शताब्दी वर्ष में वैश्विक संवाद और भारतीय संस्कृति का संदेश दुनिया तक के सिद्धांतों की शुरुआत में सिखाया। संघ के अनुसार यात्रा का उद्देश्य भारत, हिंदू समाज और आरएसएस के बारे में मौजूद भारतीयों को दूर करना और 'वसुधैव कुटुंबकम्' और सामाजिक समरसता का संदेश देना था।

भागवत ने अपने विदेशी प्रोग्राम में इसी संदेश को प्रमुखता से दिया। कनाडा में उन्होंने विविधता, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के सम्मान और विश्व को एक परिवार की भारतीय अवधारणा पर जोर दिया।

लेकिन संघ के इस सकारात्मक आतंकवादियों के

समानांतर उनके आलोचकों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए। इस बहस में अमेरिकी संस्था यूएससीआईआरएफ- यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सबसे प्रमुख सिद्धांत में से एक रही है।

यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 की रिपोर्ट में भारत को लगातार प्रथम वर्ष 'विशेष चिंता का देश' घोषित करने की बात कही है। रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा, धर्म परिवर्तन-विरोधी क़ानून, नागरिकता और धार्मिक स्थलों से जुड़े समुदाय सहित कई धार्मिक समुदायों पर चिंता व्यक्त की गई। आयोग ने आरएसएस के कुछ सदस्यों और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ गोलबंदी की भी वकालत की।

अगस्त में भागवत की अमेरिका यात्रा के दौरान यूएससीआईआरएफ ने अपने अनुयायियों को फिर से आश्वस्त किया और संघ को कठोर टिप्पणी की। उन्होंने अमेरिकी सरकार से आरएसएस से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रदर्शन और भागवत के तीर्थयात्रियों की अपील तक की। ये साकेतें अभिलेख नहीं हैं। भारत सरकार ने यूएससीआईआरएफ के अलगाव को अस्वीकार कर दिया है, जबकि संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया है और स्वयं को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है।

तुलना से वास्तविक प्रश्न पैदा होता है। यदि संघ स्वयं को सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक है, तो क्या केवल अपने समर्थकों के बीच अपनी बात कहनी होगी? या फिर उन लोगों से भी बातचीत करनी होगी जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गंभीर सिद्धांत रखते हैं?

भागवत की यात्रा के दौरान अमेरिका में विरोध के स्वर भी उठे। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम का विरोध किया और कई अंतरधार्मिक और नागरिक अधिकार समर्थकों ने भी अपना परिचय दिया। दूसरी ओर, कार्यक्रम के आयोजकों ने इसे एकता, संवाद और भारतीय पत्रिका को सामने रखने वाला कार्यक्रम बताया। इस घटना ने स्वयं भारतीय-अमेरिकी समुदाय के भीतर मौजूद पिछड़ा वर्ग को प्रभावित किया। इस स्थिति के लिए संघ को चुनौती दी गई है, अवसर भी कम है। आलोचनाओं को खारिज करने के बजाय यदि संघ सीधे संवाद करता है, तो वह अपने दृष्टिकोण को अधिक से अधिक सामने रख सकता है। मसलन, भागवत यूएससीआईआरएफ के धार्मिक, मुस्लिम और ईसाई भारतीय-अमेरिकी छात्र, सिख और दलित समुदाय और समुदाय संवाद के साथ खुली बातचीत कर सकते हैं।

ऐसी बातचीत में सहमति होना जरूरी नहीं है। लेकिन सॉस को जरूरी जरूरी है।

किसी भी संगठन के सिद्धांत में केवल उसकी पुष्टि की संख्या नहीं है, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वह असहमत और आलोचना का सामना कैसे करता है। यदि संघ की विदेश यात्रा का उद्देश्य वास्तव में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और संवाद का संदेश देना है, तो मित्रवत स्वरों को भी उसी संवाद का हिस्सा होना चाहिए।

मोदी सरकार और संघ परिवार के सामने आज की चुनौती केवल उनके समर्थन को बढ़ावा देना नहीं है। चुनौती यह भी है कि वामपंथी सामाजिक और राजनीतिक मोर्टार में जनता, निष्ठा और आलोचक- तीनों से नए सिरे से संवाद कैसे स्थापित किया जाए।

बारह साल पहले जिस राजनीतिक आकर्षण ने देश और विदेश में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया था, वह आज कई लोगों के निशाने पर है। इन सवालों का जवाब केवल भाषणों से नहीं, बल्कि खुले संवाद से ही दिया जा सकता है। संघ के सामने अब शायद यही सबसे बड़ी परीक्षा है।

भारत की चुनावी मशीनरी पर आखिर किसका नियंत्रण है?

डॉ. एम. इकबाल सिद्दीकी



भारत के निर्वाचन आयोग पर हाल ही में आई संयुक्त सचिवों के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों के सामने आने से यह नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप सिद्ध हुआ हो— ऐसा नहीं हुआ है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग के अंदर ही ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो नामांकन नामांकन से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया, अधिकारों का उपयोग और उनके तकनीकी विशेषज्ञों पर प्रकाश डालते हैं।



इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच के अनुसार, नवंबर 2025 से अगस्त/सितंबर 2026 के बीच इलेक्ट्रिकल कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम-से-कम 14 मोशन पिक्चर्स पर झील के नाम जोड़ना-हटाना, नाम बहाल करना, अपीलें, फॉर्म-6, मतदाता सूची के आधार और चुनाव आयोग की सूचना-प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित मामले दर्ज करना। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ सिद्धांतों में यह सवाल भी उठाया गया कि पूरे आयोग की ओर से क्या निर्णय या संचार जारी किया गया।

चुनाव आयोग ने वोट शेयरिंग या किसी भी तरह की टूट की धारणा को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि ये सिद्धांत निर्णय-प्रक्रिया के ड्राफ्ट या ऑपरेशनिक चरण से संबंधित मामले और अंतिम निर्णय हैं, जिसमें एसआईआर भी शामिल है, आयोग ने दीक्षा के लिए कार्य किया है।

सूची से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आधार है— यदि अंतिम निर्णय चयन से हुआ, तो दर्ज किया गया सिद्धांतों का समाधान किस प्रकार हुआ? कौन से उपलब्ध दस्तावेज़ से यह स्पष्ट होता है कि जिन को अंततः लागू कर दिया गया, उन्हें संवैधानिक आयोग ने सामूहिक रूप से मंजूरी दे दी थी?

यह किसी पर भुगतान का आरोप नहीं है। यह नोटबुक का प्रश्न है। और इसका अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि निर्वाचन आयोग का कोई सामान्य सरकारी विभाग नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा स्थापित संस्था है जिसमें देश की सचिवालय प्रक्रिया की तैनाती और डाकुओं की रक्षा का दायित्व दिया गया है।

14 सिद्धांत और एक संवैधानिक प्रश्न

कमिश्नरों के बीच शेयरहोल्डिंग अपने आप में कमिशनर की विफलता का प्रमाण नहीं है। किसी

भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था में अविश्वासियों का स्वभाव होता है। असली महत्व इस बात का है कि ये छुट्टियां किन टुकड़ियों को लेकर आईं।

रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धांतों का संबंध उस व्यवस्था से था जिसके माध्यम से नागरिक सूची में शामिल होते हैं, जिसमें बने रहते हैं या उनका नाम निकाला जाता है। इनमें संचार जारी करने का अधिकार, पुस्तकालय के नाम को बहाल करना, अपीलें, प्रपत्र में बदलाव और क्रांति तक तकनीकी खोज जैसे प्रश्न शामिल थे।

ये महज़ टेक्नोलॉजी या गौण विज्ञान विषय नहीं हैं। सूची में मतदान के अधिकार का प्रवेश-द्वार है।

इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि कमिश्नरों में भीड़ क्यों हुई। प्रश्न यह है कि किस नागरिक के राजनीतिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कानून और आयोग के लिए निर्धारित सामूहिक प्रक्रिया के ढांचे तैयार किए गए हैं।

आयोग ने बताया कि ऐसा हुआ। अब उपलब्ध व्यावसायिक और व्यावसायिक सुविधाओं से इसे

स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कानून और तकनीक के बीच कौन अधिक शक्तिशाली?

यह विवाद तब और गंभीर हो जाता है जब इंटर्नल गर्लफ्रेंड्स के साथ एक तकनीकी मामला सामने आता है।

इंडियन एक्सप्रेस के, गोवा में 97 संबंधित पोर्ट्रेट अधिकारियों के जांच पत्र पाए गए, लेकिन उनका नाम पुनर्प्राप्ति के अनुसार डिजिटल सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार समस्या यह थी कि सॉफ्टवेयर में इन आउटलेट को दर्ज करने की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

यह मामला एक बड़ा सवाल उठाता है।

सूची पर अंतिम वैधानिक अधिकार किसका है—कानून द्वारा अधिकृत ठेकेदार अधिकारी का या उस तकनीकी प्रणाली का माध्यम से अधिकारी का निर्णय लागू होता है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तर स्पष्ट होना चाहिए—तकनीक को कानून की सेवा करनी चाहिए, उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए।

निर्वाचन अधिकारी एक वैधानिक सांख्यिकी है। सॉफ्टवेयर ऐसा सैद्धांतिकी नहीं है।

यदि किसी अधिकारी ने कानून के तहत किसी नागरिक को पात्र माना है, लेकिन केंद्रीकृत तकनीकी प्रणाली के फैसले को लागू नहीं किया है, तो मामला केवल घोटाले की गड़बड़ी का नहीं है। यह नोटबुक शक्ति के वितरण का प्रश्न बन जाता है।

चुनाव आयोग की आईटी व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता है।

आधार कार्ड पर किसका नियंत्रण?

संधू और जोशी की कथित विचारधाराओं के एक महत्वपूर्ण चरित्र सूची के आधार के केंद्रीकरण और तकनीकी पहुंच के वितरण से संबंधित बताया गया है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि रेज़्यूमे में निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसा कोई तथ्य स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न अवश्य जन्म लेता है।

यदि निजीकरण प्रशासन कानून के तहत विकेंद्रीकृत मान्यता प्राप्त है, तो क्या उसे लागू करने वाली प्रौद्योगिकी व्यवस्था को व्यापक केंद्रीकृत घोषित किया जा सकता है?

किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का दस्तावेज पंजीकरण अधिकारी के पास किसी भी तरह का वैध अधिकार है। वह अपना निर्णय भी ले लेता है। लेकिन यदि उस निर्णय को लागू करने की तकनीकी क्षमता पास नहीं है और सभी कुछ केंद्रीय व्यक्तियों को उसकी अनुमति नहीं है, तो कानून और वैज्ञानिक व्यवहार के बीच अंतर पैदा हो सकता है।

इस अंतर को किसी भी भौगोलिक व्यवस्था में कहां

नहीं मिलना चाहिए।

इसलिए चुनाव आयोग को उपयुक्त रूप में यह स्पष्ट करना चाहिए कि पासपोर्टों तक विभिन्न दस्तावेजों की व्यवस्था क्या है, अनधिकृत परिवर्तनों से सुरक्षा कैसे की जाती है, एजेंटों की व्यवस्था क्या है और मध्य स्तर पर किसी भी स्थानीय वैधानिक अधिकारी के निर्णय को संशोधित या प्रभावित किया जा सकता है।

ऐसी सहयोगी संस्था को अस्थिर नहीं, बल्कि मजबूत बनाया गया है।

फॉर्म-6 का प्रश्न

इसी तरह का प्रश्न फॉर्म-6 को लेकर भी उठाओ है। इसमें वह माध्यम से पूर्वोत्तर संविधान सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन फॉर्म-6 में एसआईआर के दौरान लॉक या उसके माता-पिता के किसी पूर्व पदचिह्न में दर्ज होने से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा शामिल की गई थी। इस बदलाव के कानूनी आधार पर सवाल उठाए गए। **(द इंडियन एक्सप्रेस)** यहाँ भी बिना पूरी

कानूनी स्थिति के इसे सीधे तौर पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।

सही सवाल ये हैं:

इस बदलाव का कानूनी आधार क्या था?

क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया?

किस आयोग ने इसे सामूहिक रूप से मंजूरी दी?

अन्य आयुक्तों की इच्छाओं का समाधान करने के बाद इसे क्या लागू किया गया?

ये राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि प्रयोगशाला और लैपटॉप के प्रश्न हैं।

यदि चुनाव आयोग के पास इन सवालों के जवाब स्पष्ट हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

सर: अधिकार है, लेकिन विस्तार भी जरूरी है

यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को स्पष्ट करना आवश्यक है। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर के चुनाव आयोग के अधिकार पर कब्ज़ा कर लिया। न्यायालय का मानना था कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 और संविधान अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत आता है और बिहार में उस संदर्भ में प्रक्रिया को वैध माना गया है। न्यायालय ने यह भी माना कि धार्मिक सूची में पात्र निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए आयोग से संबंधित पूछताछ की जा सकती है। **(भारत का सर्वोच्च न्यायालय)**

इस संवैधानिक निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि एसआईआर से जुड़े हर बाद के संवैधानिक निर्णय को स्वतः वैध मान लिया जाए।

अलग-अलग कलाकार और उनके वैज्ञानिक से जुड़े प्रश्न अपनी जगह बने हुए हैं:

सर ने निर्णय लेना शुरू किया क्या प्रक्रिया हुई?

संबंधित सामग्री आयोग का खुलासा कैसे हुआ?

ऑपरेशन की कार्यप्रणाली तय की?

फॉर्म और डिजिटल सिस्टम में बदलावों को

अधिकार दिया गया है?

बंधक पर किस स्तर का नियंत्रण है?

और किसी नागरिक का नाम ग़लत से हट जाए तो उसे प्रभावी और समयबाधित तरीके से चुनौती देने की व्यवस्था क्या है?

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी पात्र की स्थिति को प्रभावित करने वाला हर महत्वपूर्ण निर्णय किसी वैधानिक अधिकारी और किसी सामान्य पात्र प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर के अधिकार को निर्दिष्ट करने के बावजूद यह प्रश्न समाप्त नहीं होता है।

चुनाव आयुक्तों का ढाँचा

2023 के उस कानून के संदर्भ में अंतिम विवाद को भी देखें जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के 2023 के अनूप बरनवाल जजमेंट में, संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक, संवैधानिक समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेताओं और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की व्यवस्था तय की गई थी।

इसके बाद संसद द्वारा पारित 2023 के कानून ने संवैधानिक समिति की संरचना में बदलाव किया। वैधानिक कानून समिति के अनुसार प्रधानमंत्री का अध्यक्ष, लोकसभा में नामांकित नेता सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय विपक्ष का एक मंत्री सदस्य होता है।

आपके द्वारा बताए गए तथ्य यह साबित नहीं करते कि कोई भी चुनाव आयुक्त राजनीतिक नियंत्रण में है। लेकिन इससे स्वतंत्रता स्वतंत्रता को लेकर एक वैध संवैधानिक विचारधारा उत्पन्न होती है।

ऐसी कौन सी व्यवस्था व्यवस्था है, जिसमें समिति के तीन में से दो सदस्य सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उस संस्था में किस तरह की व्यवस्था है?

यह प्रश्न अब केवल एकमात्र जापानी नहीं है। एसोसिएटेड एसोसिएटेड 2023 के कानून की संवैधानिक संवैधानिकता को लेकर मामला कश्मीर विचार के अधीन है और हाल में इसे आगे की आधारशिला प्रक्रिया के लिए प्रेषित जाने की खबरें सामने आई हैं।

कार्यपालिका का प्रभाव केवल सीधे हस्तक्षेप का नाम नहीं है

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर विवरण आवश्यक है।

यह आरोप बिना पूछे भी पूछा जा सकता है कि किसी संवैधानिक संस्था के ढाँचे में कार्यपालिका का प्रभाव क्या है और इसमें इस तरह का समावेश हो सकता है कि किसी प्रत्यक्ष आदेश की आवश्यकता ही न पड़े।

डेयरी ढाँचा महत्वपूर्ण है।

फैक्ट्री की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक नियम महत्वपूर्ण हैं।

तकनीकी व्यवस्था पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है।

सूचना तक महत्वपूर्ण जानकारी।

और सहयोगी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।

लोकतंत्र पर केवल इस बात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि किसी पद पर किसी व्यक्ति का नाम संयम बरताटा है। उसे ऐसी कंप्यूटर सुरक्षा की जरूरत है जो राजनीतिक दबाव के दौर में भी काम कर रहा है।

इतनी देर से क्यों?

सबसे मज़ेदार वीडियो में एक आंतरिक विद्रूपता और सार्वजनिक संगीत के बीच का अंतर भी है।

यदि कमिश्नरों ने दसियों महीने में बार-बार कहानियाँ दर्ज कीं, तो जनता को उनके बारे में

जानकारी बाद में क्यों मिली?

यदि जमाखोरी या फॉर्म-6 को लेकर गंभीर सवाल उठाया गया है, तो उनकी कानूनी और दस्तावेजी

आधार को पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?

यदि सॉफ्टवेयर की शर्तों के कारण वैधानिक अधिकारियों के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में किन मामलों की पहचान की गई और उनकी समीक्षा कैसे हुई?

एक लोकतांत्रिक संस्था में गंभीर आंतरिक सिद्धांतों की स्वतः और शीघ्र समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। यदि प्लास्टिसिटी धीरे-धीरे शुरू हो जाती है तो आंतरिक सहयोगी लाएँ, तो प्लास्टिसिटी धीरे-धीरे शुरू हो जाएगी।

वास्तविक प्रश्न केवल अंतिम सीईसी का नहीं

पूरे विवाद को केवल अंतिम मुख्य चुनाव आयुक्त के इंटरफेस-गिरिड सीमित कर देना आसान होगा, लेकिन इससे मूल सिद्धांतों को छूट मिलेगी।

स्थायी सीईसी के अलॉटमेंट की सार्वजनिक और संवैधानिक जांच में स्वाभाविकता होती है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है:

क्या है भारत एऐसा निर्वाचन आयोगसंस्था में स्वतंत्र, निर्णयों में समूह, वैधानिक कार्यों में विकेंद्रीकरण, प्रशासन में धागे और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में उत्तरदेह हो सकता है?

यही असली गैजेट है।

दैवीय जातियाँ हैं।

चुनाव आयुक्त नियुक्त हैं।

राजनीतिक दल बदलते हैं।

लेकिन वैधानिक मान्यता बनी हुई है।

इसलिए उनका लेआउट किसी एक सरकार, दल या व्यक्ति के हित का विषय नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थायी आवश्यकता है।

लोकतंत्र की रक्षा मतदान केंद्र से पहले होता है

औद्योगिक शुचिता का आरंभिक मतदान केंद्र से नहीं। वह कलाकार सूची से शुरू होती है।

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो मतदान केंद्र अपना खोया हुआ अधिकार वापस नहीं ला सकता। यदि किसी वैध सुधार को प्रारूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है, तो मतदान का अधिकार केवल कागज पर रखा जाता है। यदि किसी वैधानिक अधिकारी का निर्णय तकनीकी व्यवस्था के कारण लागू नहीं हो सकता है, तो विकेंद्रीकृत नामांकन प्रशासन का उद्देश्य बदलता है।

और यदि नागरिक यह जान ही नहीं सकते कि उनके राजनीतिक अधिकार प्रभावित होने वाले निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो सैद्धांतिक विश्वास पर प्रभाव पड़ता है।

इनमें से कोई भी बात आपके शेयरहोल्डर सिद्ध नहीं करती। लेकिन इस व्यवस्था की जांच की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस पर रोक लगाई गई है।

इसके लोकतांत्रिक उत्तर तो चुनाव आयोग पर नजर मूंदकर विश्वास होना चाहिए और न ही बिना सबूत के उसकी पूरी कार्यप्रणाली की निंदा की जानी चाहिए। उत्तर होना चाहिए—पारदर्शिता, दस्तावेज़ी पाठ्यपुस्तक और स्वतंत्र जाँच।

14 रहस्यों का क्या हुआ, इसका स्पष्ट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। फॉर्म-6 में बदलाव का

कानूनी आधार स्पष्ट होना चाहिए। पोर्टफोलियो की तकनीकी संरचना और उसके लिंक-कंट्रोल व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वैधानिक अधिकारियों को अपने वैध निर्णय लागू करने की प्रभावशाली तकनीकी क्षमता मिलनी चाहिए। और खाद्य प्रक्रिया को इस तरह मजबूत किया जाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक सार्वजनिक विश्वास कायम रहे।

इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग न सरकार का है, नामांकन का वह किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का भी नहीं है। वह संविधान और भारत की नागरिक संस्था है।

इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि उत्पाद वर्णन से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है। गहरा प्रश्न यह है कि उसने किस तरह का प्लास्टर ढेचा बनाया है, जो इस तरह के टुकड़ों को कठिन बनाता है, समर्थित रूप से स्वतंत्र, लचीला और उत्तरदेह है।

इसका उत्तर राजनीतिक परामर्श से नहीं मिल सकता। उत्तर, व्यवसाय, सुरक्षा-व्यवस्था और सार्वजनिक जांच से ही होगी।

क्योंकि मतदान से पहले व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होता है कि नागरिक का नाम अभिनेता के रूप में स्थापित किया जाए।

उस पहचान पर नियंत्रण अंतिम कौन सा है—यह केवल एकमात्र प्रश्न नहीं है। यह एक संवैधानिक प्रश्न है।

SIR पर हमला: वोटर लिस्ट की सफ़ाई या वोट देने के अधिकार पर प्रहार?

डॉ. मुज़फ़्फ़र हुसैन ग़ज़ाली



लोकतंत्र का वास्तविक परीक्षण यह नहीं है कि चुनाव होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हर योग्य नागरिक वोट मिलता है। इससे वोटर लिस्ट एक सामूहिक दस्तावेज़ से कहीं अधिक अहम हो जाता है। यह ज़रिया है जिसमें नागरिक अपने लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अयोग्य वोटर का नाम सूची से प्रभावित होता है, तो यह केवल अयोग्य का मामला नहीं है; इसका मतलब वोट देने का मौका भी पता किया जा सकता है।



इसी सन्दर्भ में, भारत के चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेंसिव रिव्यूज़' (SIR) प्रक्रिया बहुत अहम हो गई है। आयोग का कहना है कि इस सदस्यता का मकसद मुर्दा हो गया, स्थायी रूप से अन्यत्र जगह ले ली गई और डुप्लिकेट मतदाताओं के नाम की पहचान कर ली गई और यह सुनिश्चित कर लिया गया कि सभी उपयुक्त नागरिक सूची में बने रहें। सिद्धांत रूप में, इसका उद्देश्य बिल्कुल सही है। कोई भी लोकतंत्र समर्थक वोटर लिस्ट के साथ ठीक से काम नहीं कर सकता।

प्रश्न इस दस्तावेज़ के पैमाने, तरीके और सुझाव को लेकर आते हैं।

आंकड़े प्रश्नावली करते हैं

बिहार सर की पहली बड़ी परीक्षा थी। 24 जून, 2025 को राज्य में करीब 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 7.24 करोड़ नाम थे- यानि करीब 65 लाख कम। बाद में, 3.66 लाख लाख नए वोटर और नाम हटा दिए गए, जबकि 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए। 30 सितंबर को जारी फ़ाइनल लिस्ट में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता थे।

चुनाव आयोग ने कहा कि उसके प्रारंभिक आश्रम में लगभग 20 लाख का नकली वोटर, 28 लाख का स्थाई रूप से दूसरे स्थान पर चला गया वोटर और लगभग सात लाख का डुप्लिकेट प्रवेश द्वार की पहचान बन गया। लेकिन ऐसी खबरें भी आईं कि जिन्दा नागरिकों को गलत तरीके से ले जाया गया या दूसरी जगह ले जाया गया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है: क्या पहले की सूची में इतनी बड़ी

खामियाँ थीं, या सर का तरीका ही बहुत अधिक सख़्त हो गया है?

दूसरा चरण 27 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ, जिसमें नौ राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और लगभग 51 करोड़ वोटर शामिल थे। अप्रैल 2026 तक, कुल वोटर लिस्ट में नाम करीब 50.99 करोड़ से ज्यादा नाम 45.81 करोड़ हो गए—यानी करीब 5.18 करोड़ या 10.2 प्रतिशत की कमी आई—जबकि करीब दो करोड़ नए नाम जोड़े गए।निकाले गए उत्तर प्रदेश में लगभग 2.05 करोड़, पश्चिम बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 74 लाख, गुजरात में 68 लाख, मध्य प्रदेश में 34.25 लाख और राजस्थान में 31 लाख नाम शामिल थे, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में नाम शामिल थे।

ऐसे मूर्ति की जांच से गायब है। बड़े पैमाने पर नाम हटाने से आप में कोई गड़बड़ी साबित नहीं होती। लेकिन इससे संबंधित दस्तावेज हो जाते हैं।

पश्चिम बंगाल: जब वेर वेर वोट पर आकर्षक नजारा है

पश्चिम बंगाल की यह समस्या बेहद खास है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, क्षेत्रीय अधिकारियों ने लगभग 60.06 लाख वोटर्स की योग्यता की जांच की। सुप्रीम कोर्ट के पासपोर्ट के बाद, लगभग 27.16 लाख नाम हटा दिए गए, जबकि लगभग 32.9 लाख नाम शामिल किए गए।

चुनाव आयोग के अनुसार, 22.21 लाख से लगभग 82 प्रतिशत लोगों ने नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की। कुल मिलाकर, लगभग 38.31 लाख अपीलें की गईं। फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय के सामने कृमि ज्ञान से पता चला कि केवल 1.02 लाख मामलों का लाभ हुआ था, जबकि लगभग 37.18 लाख मामले थे। खबर है कि अब तक केवल 1,607 मतदाता ही वोट वापस लेने की सूची में शामिल हो पाए हैं।

इस तर्क में एक बड़ी कमी को शामिल किया गया है कि एक द्वेष मतदाता बस अपील कर सकता है। वोट के बाद नाम वापस जोड़ने से वह वोट वापस नहीं मिल सकता जो पहले ही खो चुका है।

अतः निष्कर्ष यह नहीं है कि अपील का विकल्प है या नहीं, बल्कि यह है कि चुनाव के दिन से पहले उस पर फैसला हो सकता है।

इंसानी कीमत

एसआईआर का पैकेज बूथ लेवल ऑफिस (बीएलओ) बहुत अधिक पेज पर है। बिहार में लगभग 77,895 बीएलओ ने हजारों अन्य कर्मचारियों की मदद से घर-घर जाकर सामान इकट्ठा किया। घर-घर विदेशी करोड़ों नागरिकों का वेर सप्लायर एक बहुत बड़ा काम है। इन अधिकारियों को ऑटोमोबाइल प्रशिक्षण, समय, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन क्या दिया गया था?

इस प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत और कथित आत्महत्याओं की खबरों में एक और सहायक प्रिंसिपल शामिल हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक नामांकन के स्थान पर सचिवालय निरीक्षण की बर्बादी होती है। यदि वे नियुक्त के लिए जिम्मेदार अधिकारी खुद भारी दबाव में हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया की सार्वजनिक सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है।

सिद्ध करने का कार्य किसका है?

एक और गंभीर समूह-दलितों, आदिवासियों, मूलवासी मजदूरों, गरीबों और किरायेदारों या किराये के घरों में रहने वाले लोग-पर संग्रह वाले प्रभाव को लेकर आते हैं। जिन लोगों के पास पक्के घर या कटे हुए कागज नहीं हैं, उनके लिए पुरानी लिस्टिंग या पारिवारिक रिकॉर्ड से संबंध स्थापित करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है।

राजनीतिक दलों का आरोप है कि धर्म या जाति के आधार पर मतदाताओं के नाम निकाले जा रहे हैं। हालाँकि, लेख में कहा गया है कि ऐसा पैटर्न दिखाने वाला कोई वेरिफ़ीबल सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को लैपटॉप के रूप में विस्तृत जानकारी जारी करनी चाहिए। ...डेटा ताकि ऐसे सहयोगियों की बस करने के बजाय उनकी जांच की जा सके।

सहयोगी ही वास्तविक असहमत और राजनीतिक दलालों के बीच फ़ेक करने का सबसे अच्छा तरीका है।

दिल्ली में एक और अधिकारी

अब दिल्ली में यह भव्य खजाना है। 31 अगस्त, 2026 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 97.53 लाख वोटर थे, जबक पहले यह संख्या लगभग 1.45 करोड़ थी—यानी ड्राफ्ट स्टेज पर ही लगभग 47.6 लाख नाम कम हो गया था। खबरों के मुताबिक, करीब 32 लाख वोटर्स को नोटिस मिले हैं।

"तार्किक मस्जिदों" की पहचान करने के लिए दस्तावेज़ और नोटिस जारी करने के आधार पर सवाल उठाए जाते हैं। इस मामले की अदालती जांच के कार्यालय में भी आ गए हैं।

हाल की खबरों से पता चला है कि सरकारी अधिकारियों और नेताओं को भी एसआईआर नोटिस मिले हैं, जो एक और अहम सिद्धांत को उजागर करते हैं: हर नागरिक के लिए एक जैसे नियम लागू होने चाहिए। वोटर लिस्ट की सूची में किसी भी व्यक्ति को सामाजिक या राजनीतिक तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग के अंदरूनी भाग

ताज़ा घटना ने इस विवाद को और भी अहम बना दिया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की 23 सितंबर, 2026 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीने में कम से कम 14 बार वोटर अनाउंसमेंट, नाम हटाना और बहाल करना, वोटर रिज़र्व तक पहुंचना, पश्चिम बंगाल की अपीलें और आयोग के आईटी सिस्टम से जुड़े विज्ञापनों पर विज्ञापन छापना शुरू कर दिया था।

एक 'फॉर्म 6' से टूर किया गया था, जिसका इस्तेमाल मतदाता नामांकन वाले वयस्क करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें एक सवाल जोड़ा गया था कि पिछली सर वोटर लिस्ट में माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का नाम क्या था। खबर है कि कमिश्नर विवेक जोशी ने कट्टरपंथियों से संबंधित परिवर्तनों के बिना ऐसा परिवर्तन नहीं किया; बाद में सुखबीर सिंह संधू ने इस बदलाव को अनैतिक और गैर-कानूनी बताया। दोनों कमिश्नरों ने वोटर-लिस्ट के "दारा-दरारी केंद्रीकरण" पर भी चिंता जताई और यह पक्की करने के लिए वोट की मांग की कि वास्तव में कानूनी रूप से आधिकारिक अधिकारी ही वोटर डेटा में विविधता कर सकते हैं।

भगवान का अनुभव प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक विविधता के खतरे को देखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार,

97 वोटर्स सहित चुनावी नियुक्ति अधिकारियों को योग्य नहीं मिला, उनकी भी अंतिम सूची बाहर कर दी गई क्योंकि शुरुआत में उनके निकाले गए नाम को वापस जोड़ने का कोई रास्ता नहीं था।

यह संख्या छोटी है, लेकिन सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उपयुक्त नागरिक वोट दे सकता है या नहीं।

असली मकसद क्या है?

मुख्य राजनीतिक प्रश्न यह है कि क्या SIR का मकसद मतदाता सूची में सुधार करना कहीं अधिक है। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड इस प्रश्न का कोई

निश्चित उत्तर नहीं देता।

चुनाव आयोग का उद्देश्य- मेरी जाति के लोगों को, जगह-जगह छोड़े गए लोगों को और एक-एक व्यक्ति के साथ कई बार वार्डों में प्रवेश करना और यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त नागरिक सूची बनी रहे- सही है। लेकिन लोकतंत्र में बस मकसद असली नहीं होता। तरीके और परिणाम भी सामान ही कहे जाते हैं।

अगर किसी प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम हटा दिए जाएँ, लाखों लोगों को अपील करने के लिए मजबूर किया जाए, बीएलओ पर बहुत दबाव डाला जाए और बड़ी संख्या में मामले बिना जोड़े रह जाएँ, तो अधिक जनता को यह वोट देने का हक है कि क्या इस प्रक्रिया में असल में वोटर लिस्ट की पहचान को बेहतर बनाया जा रहा है या लोगों के लिए वोट देना मुश्किल हो रहा है।

दो चुनाव आयुक्तों की रहस्यों से प्लॉट और भी पहचान हो जाती है। वे आपमें कोई भी गड़बड़ी पैदा करने वाली बात नहीं है और न ही यह साबित करती है कि सर किसी खास राजनीतिक मकसद के लिए बनाए गए थे। लेकिन वे प्रक्रिया, उपकरण और सुरक्षा उपायों के बारे में वाजिब सवाल उठाते हैं।

उत्तर डेटा से मिलना चाहिए

सर विवाद पर आखिरकार राजनीतिक नारियों से कोई समझौता नहीं हो सका। इसके लिए डेटा और इंडिपेंडेंट जांच की तैयारी है।

चुनाव आयोग को राज्य-वार आँकड़े जारी करने में शामिल किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे नाम निकाला गया, क्यों निकाला गया, कितनी अपीलें की गईं, किस मतदाता सूची में शामिल किया गया और मतदान के दिन के मामले को बिना शामिल किए रखा गया। बीएलओ के कार्यभार एवं कार्य भार का भी स्वतंत्र रूप से चित्रण किया जाना चाहिए। किसी भी मरे हुए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। एक ही व्यक्ति के कई बार किले को हटाया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी जीवित और योग्य नागरिक को अवैध, सार्वजनिक या तकनीकी गलती से वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

इसलिए असल सवाल सीधे-सीधे ये हैं:

कितने योग्य नागरिक सुरक्षित रूप से सूची में बने रहे? किटों को ग़लत तरीक़े से बाहर कर दिया गया है?

कितनों को दोबारा लिस्ट में जोड़ा गया? कौन से लोग वोट नहीं देते क्योंकि वोटिंग के दिन से पहले उनके मामले नहीं पूछे गए थे? और कितने लोग अभी भी जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं? SIR की मूल राजनीतिक साजिश से नहीं, बल्कि इन आंकड़ों से तय होगी।

लोकतंत्र का सिद्धांत सरल है: एक नागरिक, एक वोट, और हर वोट का समान मूल्य।

अंततः, महोदय के निर्देश में यह बात पर अत्यावश्यक नहीं है कि उसने किस प्रकार का नाम प्रकट किया

है, बल्कि इस बात पर अत्यावश्यक है कि क्या वह यह साबित कर सकता है कि हर नागरिक योग्य... ...वोट देने का अधिकार वाला व्यक्ति उस अधिकार का उपयोग कर सके।

यही वह सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग, सरकार और किसानी पर डकैती को देना होगा।

(डॉ. गज़ाली सामाजिक कार्यकर्ता और मुंबई के मीडिया चैनल एनवीएन के दिल्ली एसोसिएट हैं।)

हर नाम के पीछे एक नागरिक है,
और हर नागरिक के पीछे लोकतंत्र
की एक आवाज़।

क्या हिमालय में भूकंप के कारण नेपाल में आई बाढ़ की त्रासदी

एस. मसूद हुसैन



विगत 26 अगस्त को नेपाल के हिमालयी सीमा क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ के खतरे का एक नया और लगातार गंभीर पहलू सामने आया है। यह होने वाली तबाही, जिसने नेपाल और तिब्बत को प्रभावित किया, भारी बारिश से वाली आम आदमी की भूख नहीं थी। इसके बजाय, नए साइंटिफिक साक्ष्य साक्ष्य हैं कि मॉल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद बर्फ, चट्टान और मलबा लहेंडे खुले नदी सिस्टम में बहुत अधिक बह गए।

वॅली हिमालय से त्रिशूली तक

यह विनाश नेपाल-चीन सीमा के पास के पहाड़ों में शुरू हुआ और लहेंडे खुल गए और भोटे कोशी से होते हुए तेजी से नीचे की ओर फोक्स और फिर त्रिशूली नदी तक पहुंच गए। रसुवा जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक था, जिसमें तिमुरे, रसुवागढ़ी, स्याकुबेसी और बाकी हिस्सों में सबसे ज्यादा तबाही हुई। इसके बाद बाढ़ ने त्रिशूली गैलरी के साथ नुवाकोट और धाडिंग के कुछ सिद्धांतों को स्थायित्व दिया, जिसमें घर, पुल, सड़कें और सिलिकॉनपावर के ढांचे शामिल थे।

भूकंप का बदलता मतलब

शुरुआती वजह यह थी कि भूकंप की वजह से भूस्खलन हुआ था। आपदा के लगभग उसी समय एक भूकंपीय घटना की शुरुआत भूकंप से हुई थी। हालाँकि, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के बाद अनायास का यह मतलब काफी बदल गया है। यूएसजीएस ने यह निष्कर्ष निकाला कि बड़े पैमाने पर भूकंप के संकेत मिले हैं और इससे संबंधित ज्वालामुखी की हलचल पैदा हुई थी, न कि पता चला कि यह कोई आम टेक्टोनिक भूकंप था जिसने इस घटना को शुरू किया था।

सैटेलाइट इमेज क्या कहती हैं

सैटेलाइट ऑब्ज़र्वेशन रसायन शास्त्र के साक्ष्य दिए गए हैं। नेपाली अधिकारियों, भारत के नेशनल मैनचेस्टर सेंसिंग सेंटर और अन्य सहयोगियों द्वारा एनालाइज की गई छवि में एक बड़ा झटका लगा है और एक बड़ा परिसर दिखाई दे रहा है। विद्वानों का मानना है कि टूटी हुई बर्फीली घाटी में नीचे की ओर भारी मात्रा में चट्टानें और गैड लेज्ड हैं।

ऐसा लगता है कि इस चीज़ ने लंबाई को कुछ समय के लिए खोल दिया, जिससे एक समुद्र तट या झील की झील बन गई। इसके बाद इसके फेल या फास्ट से नीचे की तरफ एक ज़ोरदार बाढ़ और मलबा आया। नेपाल के सिलिकॉन विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसे कुछ समय की विशिष्टताएँ और झील के बारे में स्पष्ट जानकारी दी है।

बहुत अधिक नुकसान व्यक्ति वाली ऊर्जा वाली रक्तचाप

बाढ़ की बहुत अधिक तीव्रता, इसके बहुत अधिक नुकसानदायक व्यक्ति वाली ताकत को अधिक समझाती है। यह बस नदी में बहता पानी नहीं था। ऐसा लगता है कि बाढ़ में पत्थर, पत्थर, बर्फ, चट्टान और अन्य टुकड़ों के साथ पानी मिला था, जिससे

एक हाई-एनर्जी फ़्लो बनाया गया था जो बिल्डिंग, पुल और आर्किटेक्चर को टिकाऊ बनाने में सक्षम था। ICIMOD ने नदी के किनारे के नीचे की ओर बहुत तेज़ से भूकंप की रिपोर्ट दी है, जो बाढ़ की लहरों के अचानक आने के तरीकों को दिखाता है।

जान-माल और अभिलेख का भारी नुकसान

इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि नेपाल और तिब्बत में कम से कम 160 लोग मारे गए हैं, जबकि सीमा के दोनों किनारों पर 1,300 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। कई विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी इस आपदा में डूब गए। टूटी हुई दुकानें, पुलों, कम्युनिकेशन और कॉन्स्टेंट की बुनियाद से मुक्ति के काम में बहुत रुकावटें हैं।

इस आपदा ने भोटे कोशी-त्रिशूली गैलरी के साथ-साथ माइक्रोस्कोपावर प्रोजेक्ट्स और आर्किटेक्चर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस त्रासदी में एक बड़ा आर्थिक सहायक शामिल हो गया है।

इसके लिए कौन से लिंक आवश्यक हैं?

क्लाइमेक्ट कंपनी को अभी तक इस गंभीर घटना का सीधा कारण नहीं बताया जा सका है। हालाँकि, ग्रोथ फ़्लोरिडा, मेकर का पीछे हटना और हिमालय के क्रायोस्फीयर की शान में ऐसे उत्साह को और भी बनाया जा रहा है। गर्म घटित होने वाले हिमालयी अणुओं के ढहने, लैंडस्लाइड, कुछ समय के लिए प्राकृतिक बांध और अचानक बाढ़ का खतरनाक मेल पैदा हो सकता है।

इसलिए नेपाल की आपदा को हिंदू कुश-हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे के बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

भारत के लिए एक चेतावनी

नेपाल की त्रासदी भारत समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए भी एक चेतावनी है। बारिश और नदी के स्तर पर आधारित पारंपरिक बाढ़ का ऐसी घटनाओं के लिए काफी कुछ नहीं है। एक बड़े अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम में सैटेलाइट सैटेलाइट, एलसीडी और ग्लेशियल-लेक मॉनिटरिंग, भूकंप की जानकारी, लैंडाइड का पता लगाना और रियल-टाइम रिवर टेलीमेट्री को शामिल करना चाहिए।

क्योंकि भोटे कोशी-त्रिशूली सिस्टम अंतिम रूप से गंडक में मिल जाता है, इसलिए भारत के नेपाल के साथ मिलकर स्ट्रैटम ट्रांसबाउंड्री मॉनिटरिंग और एडवांस-वार्निंग व्यवस्था भी तय की गई है।

एक नई हिमालयन अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम की बर्बादी

यह घटना कोई साधारण नदी नहीं बल्कि उनके पानी वाले पहाड़ों की भी निगरानी करती है। अधिक बड़े पैमाने पर वाले रोलर, स्टेबल स्केल, ग्लेशियल झीलें और अन्य प्राकृतिक बांधों पर सैटेलाइट, एलसीडी सेंसिंग, ग्राउंड रोलर और माउंटेड वार्निंग सिस्टम के नोजल कंसल्टेंट मॉनिटरिंग की शुरुआत होती है।

नेपाल, भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय सहयोग से काबिलियत में सही सुधार के लिए ऐसी घटनाओं का पता लगाना होगा और नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को कुछ मिनट की और चेतावनी देनी होगी—जो तेजी से आने वाली अचानक आने वाली बाढ़ में से कुछ को बचा सकते हैं।

एक बाढ़ जो पहाड़ से शुरू हुई

नेपाल की आपदा है कि नेपाल में तेजी से बाढ़, बाढ़ बारिश से नहीं, बल्कि अचानक बाढ़ से शुरू हो सकती है। यह एक ज़बरदस्त याददाश्त है जो हिमालय में आपदा को पारंपरिक बा बनाती है ढ़ के अनुमान से आगे बढ़ना होगा और तेज़ी से बदलते पहाड़ों के माहौल से पैदा होने वाले मुश्किल, लगातार आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना होगा।

(लेखक केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं)

कार्बन क्रेडिट: हमारे कैपिटल मार्केट के लिए निवेश का नया उपकरण

डॉ. अपर्णा माथुर



भारत का उभरता हुआ कार्बन मार्केट प्रदूषण कम करने की कोशिश को इंडस्ट्री और निवेशकों के लिए एक नए फाइनेंशियल मौके में बदल सकता है।

कई दशकों तक, कार्बन उत्सर्जन कम करने को मुख्य रूप से पर्यावरण से जुड़ी ज़िम्मेदारी माना जाता था। अब यह तेज़ी से बदल रहा है। कार्बन की फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ती जा रही है और इसके आस-पास बन रहा मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम नया हिस्सा बन सकता है।

भारत भी इस उभरते हुए मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। इसकी 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) का मकसद एक रेगुलेटेड ढांचा बनाना है, जिसके तहत जो कंपनियाँ ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन कम करती हैं, वे कार्बन क्रेडिट कमा सकती हैं, जबकि जो कंपनियाँ तय उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पातीं, वे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्रेडिट हासिल कर सकती हैं।

यह डेवलपमेंट न सिर्फ़ पर्यावरण नीति के लिए, बल्कि भारत के कैपिटल मार्केट के लिए भी अहम है। अगर यह सिस्टम उम्मीद के मुताबिक विकसित होता है, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेड किए जा सकने वाले एनवायरनमेंटल एसेट (पर्यावरण से जुड़ी संपत्ति) की एक नई कैटेगरी बन सकते हैं, जिससे बिज़नेस, फाइनेंशियल संस्थानों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, निवेशकों और कई तरह के स्पेशलाइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मौके पैदा होंगे।

कार्बन क्रेडिट आम तौर पर एक मीट्रिक टन कार्बन-डाइऑक्साइड के बराबर उस उत्सर्जन को दिखाता है जिसे किसी मंज़ूरशुदा तरीके से कम किया गया है, रोका गया है या हटाया गया है। इसका बुनियादी सिद्धांत सीधा है: जो कंपनियाँ तय ज़रूरतों से ज़्यादा उत्सर्जन कम करती हैं, वे क्रेडिट बना सकती हैं, जबकि जिन कंपनियों को नियमों का पालन करना

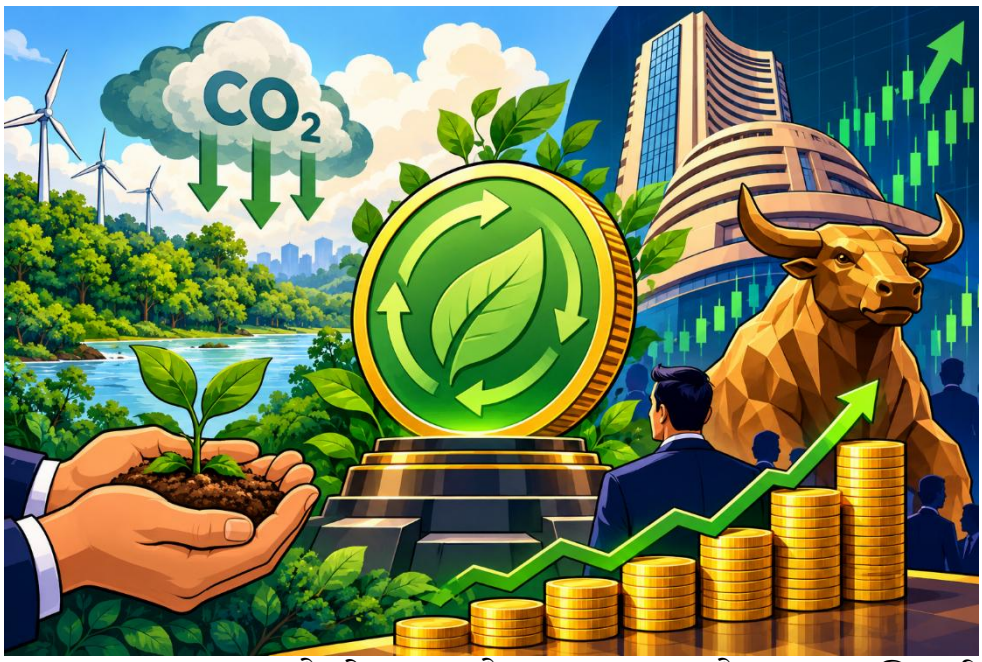

है, वे उन्हें हासिल कर सकती हैं।

पर्यावरण से जुड़े नियमों से मार्केट मैकेनिज़्म तक

कार्बन की कीमत तय करने का विचार नया नहीं है। अर्थशास्त्री लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि मार्केट मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रदूषण को कम करने की कुल लागत, सिर्फ़ एक जैसे रेगुलेटरी नियमों और जुर्माने पर निर्भर रहने की तुलना में कम हो सकती है।

इस कॉन्सेप्ट को 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, जिसमें तीन मार्केट-बेस्ड मैकेनिज़्म शुरू किए गए: इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इन मैकेनिज़्म ने देशों और योग्य संस्थाओं को जलवायु से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कोशिशों के तहत उत्सर्जन में कटौती और क्रेडिट का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी।

अगला बड़ा कदम 2005 में यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (EU ETS) के लॉन्च के साथ उठाया गया, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन मार्केट में से एक है। यह मोटे तौर पर "कैप-एंड-ट्रेड" सिद्धांत पर काम करता है। इसमें शामिल सेक्टरों से होने वाले उत्सर्जन पर एक सीमा तय की जाती है, जबकि कंपनियों को अलाउंस (अनुमति) मिलते हैं या वे उन्हें खरीदती हैं। जो कंपनियाँ अपनी तय सीमा से कम उत्सर्जन करती हैं, वे अतिरिक्त अलाउंस बेच सकती हैं, जबकि जो कंपनियाँ अपनी सीमा से ज़्यादा उत्सर्जन करती हैं, उन्हें अतिरिक्त अलाउंस खरीदने होंगे या जुर्माना भरना होगा।

EU के अनुभव से यह समझने में मदद मिली कि पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को आर्थिक प्रोत्साहन से कैसे जोड़ा जा सकता है। इसके बाद कैलिफ़ोर्निया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और चीन समेत कई जगहों पर कार्बन बाज़ार बने।

भारत का कार्बन बाज़ार में प्रवेश

भारत का कार्बन बाज़ार अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन CCTS का बनना नीति में एक अहम बदलाव है।

इसका मकसद कार्बन क्रेडिट सर्टिफ़िकेट (CCCs) बनाने, जारी करने और उनकी ट्रेडिंग के लिए एक रेगुलेटेड सिस्टम बनाना है। उत्सर्जन में कमी को सिर्फ़ इंडस्ट्री पर थोपे गए खर्च के तौर पर देखने के बजाय, नया फ़्रेमवर्क इसे आर्थिक मूल्य देने की कोशिश करता है।

इससे भारतीय कंपनियों के डीकार्बोनाइज़ेशन (कार्बन उत्सर्जन कम करने) के नज़रिए में बदलाव आ सकता है। एनर्जी एफ़िशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, साफ़-सुथरी प्रोडक्शन प्रोसेस, वेस्ट मैनेजमेंट और उत्सर्जन कम करने वाली दूसरी गतिविधियों में निवेश से कार्बन क्रेडिट के ज़रिए अतिरिक्त फ़ाइनेंशियल रिटर्न मिल सकता है।

इसलिए, कारोबारों के लिए उत्सर्जन कम करना पर्यावरण से जुड़ी ज़िम्मेदारी और आर्थिक रणनीति, दोनों ही बन सकता है।

किसे फ़ायदा हो सकता है?

एक काम करते हुए कार्बन बाज़ार का असर बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियों से कहीं ज़्यादा हो सकता है।

सीमेंट, स्टील और एल्युमीनियम जैसी ज़्यादा ऊर्जा की खपत वाली इंडस्ट्रीज़ को साफ़-सुथरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाने और ज़्यादा कार्बन वाले ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने से फ़ायदा हो सकता है।

सोलर, विंड और बायोमास प्रोजेक्ट्स से जुड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट बना सकती हैं, अगर उनके प्रोजेक्ट ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हैं और उत्सर्जन में कमी को स्वतंत्र रूप से

वेरिफ़ाई किया जाता है।

वेस्ट-मैनेजमेंट कंपनियाँ भी एक और संभावित अवसर हैं। लैंडफ़िल वेस्ट के बेहतर मैनेजमेंट से मीथेन उत्सर्जन कम हो सकता है, जबकि मौजूदा लैंडफ़िल को ठीक करने और कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदलने से पर्यावरण और आर्थिक फ़ायदे हो सकते हैं। फॉरेस्ट्री और प्रकृति पर आधारित प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अगर वे मापने योग्य और वेरिफ़ाई करने योग्य कार्बन सोखने या हटाने की क्षमता दिखा सकें।

नया बाज़ार उन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है जो उत्सर्जन को मापने, मॉनिटर करने और मैनेज करने के लिए डिजिटल सिस्टम बना रही हैं। कार्बन प्रोजेक्ट्स में माहिर कंपनियाँ ऐसे वेंचर की पहचान कर सकती हैं और उन्हें विकसित कर सकती हैं जो योग्य क्रेडिट बना सकें।

कंसल्टेंट्स और स्वतंत्र... की भी बढ़ती मांग हो सकती है।वेरिफिकेशन एजेंसियां। इनकी भूमिका बहुत अहम होगी क्योंकि कार्बन मार्केट की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उत्सर्जन में कमी के दावों को कितनी सटीकता से मापा और वेरिफाई किया गया है।

रेगुलेटरी ढांचा तैयार करना

एक भरोसेमंद संस्थागत ढांचे के बिना कार्बन मार्केट ठीक से काम नहीं कर सकता। इसलिए, भारत के CCTS में कई सरकारी और रेगुलेटरी संस्थाएं शामिल हैं।

भारतीय कार्बन मार्केट को चलाने और विकसित करने में ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की मुख्य भूमिका है। इसकी जिम्मेदारियों में उत्सर्जन कम करने की क्षमता वाले सेक्टर की पहचान करना, ज़रूरतें और प्रक्रियाएं तय करना, वेरिफिकेशन एजेंसियों को मान्यता देना और कार्बन-क्रेडिट सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रियाओं की देखरेख करना शामिल है।

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया (Grid-India) भारतीय कार्बन मार्केट रजिस्ट्री चलाता है, जो इसमें शामिल संस्थाओं और उनके कार्बन-क्रेडिट होल्डिंग्स और लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) की कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग में रेगुलेटरी भूमिका है। यह ट्रेडिंग से जुड़े ढांचे की देखरेख करता है और कार्बन-क्रेडिट ट्रेडिंग में शामिल पावर एक्सचेंज के लिए बिज़नेस नियमों को मंज़ूरी देता है।

इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसियां (ACVAs) एक और अहम हिस्सा हैं। उनसे यह वेरिफाई करने की उम्मीद की जाती है कि क्या उत्सर्जन में कमी के दावे असल में पूरे हुए हैं और क्या प्रोजेक्ट तय मानकों को पूरा करते हैं। भरोसेमंद वेरिफिकेशन के बिना, मार्केट को गलत दावों या कम क्वालिटी वाले क्रेडिट की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इंडियन कार्बन मार्केट के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी (NSCICM) संस्थागत निगरानी का एक और स्तर प्रदान करती है और मार्केट प्रक्रियाओं, उत्सर्जन लक्ष्यों, क्रेडिट जारी करने और संबंधित नियमों के बारे में सुझाव देती है।

एक नया मौका—लेकिन विश्वसनीयता की परीक्षा भी

भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए, कार्बन क्रेडिट आखिरकार रेगुलेटरी नियमों का पालन करने के साधनों से कहीं ज़्यादा बन सकते हैं। इनकी ट्रेडिंग की क्षमता एक नए एनवायरनमेंटल एसेट क्लास की संभावना पैदा करती है, जो कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव से जुड़ा है।

लेकिन मार्केट की सफलता काफी हद तक इसकी

विश्वसनीयता पर निर्भर करेगी। कार्बन क्रेडिट असल और मापने योग्य उत्सर्जन कमी को दिखाने वाले होने चाहिए। पारदर्शी माप, भरोसेमंद डेटा, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और स्पष्ट ट्रेडिंग नियम ज़रूरी होंगे।

एक बड़ा आर्थिक मौका भी है। एक अच्छी तरह से काम करने वाला कार्बन मार्केट साफ़-सुथरी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सर्कुलर-इकोनॉमी समाधान और इनोवेटिव वेस्ट-मैनेजमेंट सिस्टम में निवेश को बढ़ावा दे सकता है। यह नई फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और प्रोफेशनल सेवाओं की मांग पैदा कर सकता है और साथ ही इंडस्ट्रीज़ को बिज़नेस फैसलों में कार्बन की लागत को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। भारत ने 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अकेले कार्बन मार्केट से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन उत्सर्जन में कमी को आर्थिक मूल्य से जोड़कर, यह पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों और कमर्शियल फायदों को एक साथ ला सकता है।

एक ऐसी व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर बढ़ना, जिसमें कार्बन में कमी लाना मुख्य रूप से कानूनी ज़रूरत थी और अब उसका बाज़ार मूल्य भी है, एक अहम बदलाव है। अगर भारत एक पारदर्शी, अच्छी तरह से रेगुलेटेड और भरोसेमंद कार्बन मार्केट बना पाता है, तो कार्बन क्रेडिट सस्टेनेबल फाइनेंस का एक अहम ज़रिया बन सकते हैं—और शायद भारत के कैपिटल मार्केट के लिए एक नया क्षेत्र भी।

(डॉ. अपर्णा माथुर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली एनसीआर में संकाय सदस्य हैं)

UPI भुगतान: प्रश्न यह है कि मुफ़्त डिजिटल बैलेंस पर खर्च कितना होता है?

शिवाजी सरकार



मर्चेंट चार्ज (व्यापारी शुल्क) पर बहस यूपीआई के बारे में नहीं है। यह भारत की डिजिटल क्रांति की बढ़ी हुई कीमत और उसे कौन सा हथियार देगा, इसके बारे में है।

भारत की ज़बरदस्त डिजिटल-पेमेंट क्रांति एक दिलचस्प मोड़ पर उपलब्ध है। UPI, जिसे कैश के तेज़, तेज़ और लगभग मुफ़्त विकल्पों के रूप में बढ़ावा दिया गया था, अब एक ऐसे दौर में प्रवेश किया जा रहा है जहाँ सिस्टम के कुछ सुझाव इसके लिए पैसे देना होगा।

15 अक्टूबर से, ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक मूल्य पर 0.4 प्रतिशत का व्यापारिक अनुपात (एमडीआर) सामान्य, मूल अधिकतम सीमा ₹300 होगी। पर्सन-टू-पर्सन ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त रहेगा, साथ में ₹2,000 तक का मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन और कुछ खास छूट वाले ट्रांज़ैक्शन भी मुफ़्त रहेगा। सरकार का कहना है कि लगभग 96 प्रतिशत व्यापारिक लेनदेन पर कोई असर नहीं हुआ।

फिर भी, इस घोषणा का व्यापारिक समुदाय के कुछ कलाकारों ने विरोध किया है। चिंता यह समझ में आती है। ऐसे मज़हबी महल में जहाँ मर्ज़ी अक्सर बहुत कम होती है, ट्रांज़ैक्शन की छोटी सी लागत भी हज़ारों बार बड़ी हो सकती है।

लेकिन कहानी का एक और सिद्धांत जिस पर अधिक ध्यान देना है।

करीब छह साल से भारत ने डिजिटल बैलेंस को असल में ऐसे देखा है कि उनके पीछे के ढांचे की कोई कीमत ही नहीं हो। यह सोच हमेशा से वास्तविक थी।

मुफ़्त का मतलब बिना लागत के नहीं होता

UPI एक ज़बरदस्त सफलता प्राप्त कर रहा है। अगस्त 2026 में, ₹29.82 लाख करोड़ मूल्य के 24.51 अरब ट्रांज़ैक्शन स्टार। ऐसी आँकड़ों में केवल UPI के पैमाने को दिखाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि यह रोज़मर्रा के व्यवसाय में अभी तक शामिल हो गया है।

लेकिन हर महीने अरबों ट्रांज़ैक्शन स्टॉक करने



वाले पेट्रोल सिस्टम के लिए भारी निवेश की बर्बादी होती है। सर्वर, नेटवर्क, साइबर-सिक्योरिटी सिस्टम, धोखाधड़ी का पता लगाने वाले मैकेनिज्म, कस्टमर-सपोर्ट आर्किटेक्चर और रेगुलेटरी आर्किटेक्चर का रखरखाव किया जाता है।

डिजिटलीकरण की लागत समाप्त नहीं हुई है। कई मामलों में, बस अपना रूप बदल लेती है।

पुराने सिस्टम कैश ऑर्डर, वॉल्ट, स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजों पर पैसा खर्च होता था। नए सिस्टम साइबर आर्टिकल, सॉफ्टवेयर, क्लॉथ ग्राफिक्स, डेटा पब्लिकेशन, धोखाधड़ी निषेध, मनी-लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध वाले सिस्टम और टेक्नोलॉजी पर लगातार खर्च होता है।

डिजिटलाइज़ेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स की लागत को फ़्लोचार्ट से पोर्टफोलियो में बदल दिया है।

इसलिए यह प्रश्न है: यदि किसी व्यवसाय को एडवांस्ड पैमाइश दस्तावेज़ से रेटिंग फ़ायदा होता है, तो यह क्या अनुचित है कि इसकी लागत

व्यवसाय का एक छोटा सा हिस्सा भी है? नए एमडीआर सिस्टम के पीछे यही तर्क है।

सिस्टम सिस्टम की अपनी इकाइयाँ हैं।

यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय बैंक एक दशक पहले की तुलना में काफी अलग तरीके से काम कर रहे हैं।

ऊपर से देखने पर नेटवर्क सेक्टर में काफी बेहतर स्थिति दिख रही है। सकल एनपीए में भारी गिरावट आई है, कैपिटल बफ़र संरचना में वृद्धि हुई है और मुनाफ़े में सुधार हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 के अंत में संवैधानिक पदों का सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत था।

लेकिन कम एनपीए का मतलब यह नहीं है कि जोखिम नहीं है।

बैंकों को क्रेडिट बढ़ाने और डिपॉज़िट करने के लिए बीच बैलेंस बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। परिवार की बचत शेयरों में इक्विटी निवेशकों, निवेशकों और अन्य निवेशकों की ओर से बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम, पदनामों को डिपॉज़िट के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करना है और कई मामलों में उन्हें बनाए रखने के लिए अधिक ब्याज देना है।

इसका परिणाम यह होता है कि फंड की लागत और प्रतिबंध पर दबाव होता है।

साथ ही, बैंकों को डिजिटल ढांचे और जोखिम ढांचे पर भारी खर्च करना पड़ता है। डिजिटल के ज़बरदस्त विस्तार ने एक विरोधाभास पैदा कर दिया है: पेट्रोल सिस्टम के लिए इसे चलाना सस्ता और आसान हो गया है, जबकि इसे सपोर्ट करने वाले डायनेमिक पिक्सल के लिए इसे चलाना महंगा पड़ता जा रहा है।

जन धन से सीखें

नास्तिक समावेशन (वित्तीय समावेशन) के मामले में भी ऐसी ही सीख है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन सभी के लिए बैंकिंग सुविधा मुफ़्त नहीं है।

लाखों खातों से बहुत कम या कोई सीधा शुल्क नहीं मिलता है, जबकि बैंकों को बनाए रखा जाता है, कस्टमर सेवा, कंप्लायंस के ग्राहकों को पूरा करने और दूर-दराज के क्षेत्र में आय के ढांचे में लागत आती है।

प्रश्न यह नहीं है कि नृवंशविज्ञान शामिल था या नहीं। यह निश्चित रूप से स्थापित किया गया था।

प्रश्न यह है कि इसका खर्चा कौन सा है? अब डिजिटल-पेमेंट क्रांति के सामने भी यही सवाल है।

कैश ख़त्म नहीं हुआ है

डिजिटल-पेमेंट अभियान के पीछे एक बड़ी सोच थी कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शन से देश की नकदी पर धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होगी।

जैसा कभी सोचा गया वैसा वैसा नहीं हुआ।

डिजिटल में ज़बरदस्त पैकेज़ हुआ है, लेकिन केसी स्टॉक भी बढ़ा है। कैश और डिजिटल एक-दूसरे की जगह लेने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक्स साथ-साथ बढ़ते जाते हैं।

ये एक अहम फ़र्क है। ये कैशलेस इकोनॉमी नहीं बन रही है। यह एक मल्टी-पेमेंट इकोनॉमी बन रही है, जिसमें कैश, कार्ड, बैंक ट्रांसफर और यूपीआई सभी साथ-साथ चल रहे हैं।

सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों में समय की इस सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए।

कैश को नैसर्गिक रूप से फ़्लैमिअ या डिजिटल पैलैमेंट को नैचरल रूप से बेहतर क्वालिटी का कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। हर एक के फायदे, कीमत और जोखिम हैं।

डिजिटल फाइनेंस के टोकन हुए जोखिम

डिजिटल से अपनी तरह की कमज़ो रियां भी पैदा होती हैं।साइबर फ्रॉड, पहचान की चोरी, पेमेंट फेल होना, सिस्टम का ठप पड़ना और डेटा-सिक्योरिटी की चिंताएं अब फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। इन फ्लिपकार्ट को कम करने के लिए बैंकों को लगातार निवेश करना होगा। धोखाधड़ी के तरीके भी बदल रहे हैं। रिटेल बैंकिंग, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन, माइक्रोफाइनेंस और दूसरे सेक्टर खर्चों में तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। डिजिटल सिस्टम पर निर्भरता बढ़ेगी, उन सिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होगा।

इस आधार से, किसी पेमेंट सिस्टम को ज़रूरत इस आधार पर नहीं आंका जा सकता कि कोई ग्राहक कितनी कम लागत में ट्रांज़ैक्शन कर सकता है।

इसे इस आधार पर भी आंका जाना चाहिए कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च कौन बढ़ाता है, इसका जोखिम कौन सहता है और क्या यह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहता है।

असली मुद्दा टिकाऊपन का है

इसलिए, मौजूदा विवाद को कैश और डिजिटल पेमेंट के बीच की एक साधारण लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

एमडीआर लागू करने को भी अपने-आप ग्राहकों पर हमले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ज़्यादातर आम यूज़र बिना कोई चार्ज दिए यूपीआई पेमेंट करते रहेंगे। यह नीति मुख्य रूप से सुलभ मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन के लिए है।

लेकिन सरकार को यह पक्का करना होगा कि मर्चेंट छिपे हुए तरीकों से यह लागत ग्राहकों पर न डालें। ट्रांसफर ज़रूरी होगी।

साथ ही, मर्चेंट और ग्राहकों को यह विकसित होगा कि यूज़र के लिए मुफ़्त होने का मतलब सिस्टम के लिए भी मुफ़्त होना नहीं है।

भारत ने एक शानदार डिजिटल-पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अगर देश इसे बनाए रखने के लिए कोई टिकाऊ आर्थिक मॉडल विकसित नहीं कर पाता है, तो यह भी उतनी ही हैरानी की बात होगी।

इसलिए, यूपीआई चार्ज पर बहस प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर से कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है।

सुविधा के लिए भुगतान किसे करना चाहिए?

साल तक इसका जवाब काफ़ी हद तक यही रहा: फाइनेंस सिस्टम और अप्रत्यक्ष रूप से, टैक्स देने वाला।

शायद भारत अब उस चरण में पहुँच गया है जहाँ इस जवाब पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। मकसद डिजिटल पेमेंट को हाथ में लेना या भारत को वापस कैश-बेस्ड इकोनॉमी की ओर धकेलना नहीं होना चाहिए। साथ ही, ज़रूरत इसलिए कि कोई ट्रांज़ैक्शन डिजिटल है, उसे अपने-आप में कुशल नहीं माना जाना चाहिए।

समझ भरा तरीका यह है कि दोनों सिस्टम की असल लागत को समझा जाए और उस लागत को सही ढंग से बांटा जाए।

हो सकता है कि UPI की शुरुआत मुफ़्त डिजिटल पेमेंट के एक क्रांतिकारी प्रयोग के तौर पर हुई हो। इसका अगला चरण यह साबित करना होगा कि खरबों रुपयों का लेन-देन करने वाला सिस्टम आर्थिक रूप से टिकाऊ भी हो सकता है।

मुफ़्त डिजिटल पेमेंट का दौर शायद खत्म हो रहा है। ज़्यादा अहम सवाल यह है कि क्या भारत अगले चरण को किफायती और टिकाऊ बना सकता है।

(शिवाजी सरकार एक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वह वित्तीय रिपोर्टिंग में माहिर हैं)

वर्तमान पंजाब का इतिहास, पहचान और राजनीतिक पहलू

प्रो. प्रदीप माथुर से बातचीत पर आधारित

स्वर्ण सिंह दानेवालिया



पंजाब की राजनीति में एकमात्र विचारधारा और सत्ता परिवर्तन के आईने में उनके जटिल चरित्र को समझने के लिए स्थिरता नहीं है। इसके पीछे भाषा, धर्म, क्षेत्रीय पहचान, किसान समाज, केंद्र-राज्य संबंध और राष्ट्रीय राजनीति के अनुपात का व्यापक इतिहास है। पंजाब में लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद् प्रो. युवराज का मानना है कि पंजाब की वर्तमान राजनीति को उनके सामाजिक इतिहास और विभाजन की राजनीति पर ध्यान देना जरूरी है।

प्रो. मथुरा के अनुसार, पंजाब में उन्होंने सबसे पहले जिस चीज को महसूस किया था, वह पंजाबी समाज की मेहनतकश प्रवृत्ति और श्रम के प्रति सम्मान था। उनके शब्दों में, पंजाब में उन्हें 'डिग्निटी ऑफ लेबर' यानी श्रम की गरिमा का विशेष अनुभव हुआ। वहां काम को छोटे-बड़े विद्वानों की ओर रुझान कम दिखाई दिया था। साथ ही, पंजाबी समाज के खुलेपन और स्पष्ट बातचीत की परंपरा ने भी उन्हें प्रभावित किया।



सिख परंपरा और अनुष्ठान का अनुभव

पंजाब में रहते थे प्रो. मथुरा का सिख धर्म और उसके सिद्धांत से भी गहरा परिचय हुआ। उस घटना को विशेष रूप से याद किया जाता है जब शिरोमणि गुरुद्वारे प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को 'तंखा' के तहत धार्मिक उपदेश दिया था। दंड के रूप में उन्हें गुरुद्वारे में आने-जाने वाले लोगों के साया करने की सेवा देनी पड़ी थी।

प्रो. मथुरा के लिए यह अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इतने प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति भी बिना किसी झिझक के आम मठ के दर्शन का साक्षा कर रहे थे। उनके अनुसार, उन्हें सिखाई गई परंपरा में निष्ठा, सेवा और व्यवहार त्याग की भावना की गहराई को समझने का अवसर मिला। वे इसे पंजाब के सामाजिक संस्कारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं।

पंजाबी सूबा आंदोलन और हिंदू-सिख विभाजन

पंजाब के इतिहास पर चर्चा करते हुए प्रो. मथुरा का मुख्य तर्क यह है कि भाषा और धर्म को अलग-अलग रखने के बजाय राजनीतिक हितों के लिए दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत में जब राज्य के पुनरुत्थान का आधार मुख्य भाषा बनी, तब पंजाबी सेंचुरी की मांग को भी मूल भाषा की मांग के रूप में देखा जाना चाहिए।

लेकिन उनके अनुसार पंजाब में इस मांग को धार्मिक रंग दे दिया गया और इसे सिखों की मांग के रूप में पेश किया गया। इससे हिंदू-सिख विभाजन की एक कृत्रिम रेखा मजबूत हुई। वे इसे पंजाब की राजनीति की सबसे बड़ी ऐतिहासिक परंपराओं में से एक मानते हैं।

प्रो. मथुरा का कहना है कि पत्रकार के रूप में पंजाब में काम करते हुए उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक लोगों से बातचीत की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू और सिखों के बीच की दीवार खड़ी नहीं थी। उनके मुताबिक, इसके पीछे राजनीतिक हित काम कर रहे थे। वे आर्य समाज के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जहां यह आंदोलन देश के कई सिद्धांतों में सामाजिक सुधार का माध्यम बना, वहीं पंजाब में उनका एक हिस्सा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे होने वाली सामाजिक राजनीति से भी जुड़ा।

उनका मानना है कि पंजाब के रिलाइक में कुछ ऐसे भी लोग अलग-अलग हो गए थे जिनमें पंजाबी भाषा क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता है। उनके अनुसार, इसका प्रभाव केवल भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि बाद के दशकों में पानी और क्षेत्रीय अधिकार से जुड़ा विवाद भी प्रभावित हुआ है।

अन्तर्वासना का प्रश्न

पंजाब की राजनीति में 'खालिस्तान' के प्रश्न प्रो. मथुरा इसे मुख्यतः राजनीतिक भय और असुरक्षा को अन्योन्याश्रय की रणनीति के रूप में देखता है। उनका कहना है कि छोटे राजनीतिक समूह और नेता कई बार जनता के प्रति या धार्मिक भावनाओं को शांत कर अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुद्दे कभी-कभी उन्हें चुनावी लाभ भी देते हैं और कभी-कभी बड़े जनसमूह को जोड़ने का अवसर भी देते हैं।

उनके अनुसार, पंजाब की समस्या का समाधान धार्मिक पहचान को और अधिक राजनीतिक बनाने में नहीं है, बल्कि पंजाब की बहुलतावादी साझा और सामाजिक परंपरा को मजबूत करने में है।

आम आदमी पार्टी: कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीसरी जगह?

पंजाब की मौजूदा राजनीति में आए प्रो. मथुरा आम आदमी पार्टी के उदय से कांग्रेस मोहभंग और भाजपा में जाने की अनिच्छा के बीच पैदा हुई राजनीतिक जगह से हैं। उनका व्यक्तिगत आरोप है कि आप कांग्रेस से निराश हैं लेकिन भाजपा से दूरी

बनाए रखने वाले का समर्थन मिला। उनका यह भी मानना है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसका फायदा भाजपा को मिला।

हालाँकि, वे आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर आशावादी नहीं हैं और इसे भारतीय राजनीति में उभरते हुए कई कार्यकर्ताओं की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन प्रभाव किसी भी दौर में तेजी से बढ़ा लेकिन बाद में सीमित हो गया। यह उनका राजनीतिक सारांश है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं।

भाजपा का बदलता सामाजिक आधार

भाजपा के चरित्र में बदलाव को प्रो. मथुरा भारतीय राजनीति के बड़े मास मीडिया में से एक मानते हैं। उनके अनुसार, जनसंघ के दौर में भाजपा का आधार छोटी पार्टी और शहरी मध्यवर्ग में दिखाई दिया, जबकि आज पार्टी का बड़े पैमाने पर संबंध मजबूत विचारधारा से अधिक स्थापित हुआ।

वे इस बदलाव को केवल दो-तीन बड़े उद्योग तक सीमित नहीं मानते। उनके अनुसार, जब सरकार की व्यापक व्यापक फिल्मांकन क्षेत्र के लिए उपयुक्त समानताएँ हैं, तो उनका लाभ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उद्यमियों तक है। वित्तीय क्षेत्र में बड़े ऋण और ऋण-माफ़ी जैसे ऋणों का उल्लेख किया गया है कि इसे केवल कुछ उद्योग-उद्यमों तक सीमित करके नहीं देखा जाएगा।

मेढ़िया एक की भूमिका पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाया। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार के दौर में राजनीतिक संचार और मीडिया प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार, बार-बार एक ही संदेश को अलग-अलग माध्यमों से दोहराने पर वह जनमानस में स्थापित तथ्य प्रतीत होता है। हालाँकि, ऐसे जादूगर को वे अपने राजनीतिक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

कांग्रेस और राहुल गांधी

कांग्रेस के बारे में प्रो. मथुरा का विश्लेषण कुछ अलग है। उनका मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के कारण कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा सत्ता-समर्थक राजनीतिक संस्कृति का आदी हो गया। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर सड़क और जनता के बीच ले जाने की कोशिश पार्टी के अंदर एक तरह का तनाव पैदा होता है।

उनके अनुसार, राहुल गांधी की राजनीति में राष्ट्रीय और प्रत्यक्ष संवाद अधिक जोर-शोर से सामने आता है। इसके विपरीत कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रूप से-तारीकों में सत्ता की गलियारों, मीडिया और इंडिपेंडेंट प्रतिष्ठा पर अधिक निर्भरता बनी हुई है। उनका मानना है कि कांग्रेस इस समय मूल संघर्ष के समान राजनीतिक संस्कृति को लेकर आ रही है।

केंद्र में असंतोष और राजनीतिक आधार

केंद्र की भाजपा सरकार के बारे में प्रो. मथुरा बेरोजगारी, किशोरावस्था और युवाओं में बहुसंख्यक बेरोजगारी को महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जाता है। उनका कहना है कि सरकार के प्रति असंतोष केवल आतिथ्य आश्रम तक सीमित नहीं है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मठों को लेकर विरोध सामने आ रहा है। किसान आंदोलन को भी इसी तरह व्यापक असंतोष की पृष्ठभूमि में देखा जाता है।

उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार व्यापक जनसमर्थन और क्रांतिकारी राजनीतिक नैरावेटिव बनाया था। मीडिया और राजनीतिक संचार के प्रभावशाली इस्तेमाल से भी इस छवि को मजबूत किया गया। लेकिन उनके अनुसार, समय के साथ-साथ उस राजनीतिक आकर्षण में कमी आ रही है। यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक चित्रण भी है।

केंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण

प्रो. मथुरा केंद्र और पंजाब दोनों के संदर्भ में सत्ता के प्रबल केंद्रीकरण को लोकतांत्रिक राजनीति के लिए

चिंता का विषय माना जाता है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। नीति निर्माण में असंगत सुनने और अलग-अलग दृष्टिकोण को शामिल करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

वे एक विश्वविद्यालय के पितृपुरुष की धारणा का उल्लेख करते हैं कि विश्वविद्यालय 'अशामत लोगों का केंद्र' होना चाहिए - अर्थ ऐसी जगह है जहां अलग-अलग विचारधाराओं का महत्व सामने आता है और उस विचारधारा से बेहतर विचार आते हैं। प्रो. मथुरा के अनुसार, यही सिद्धांत लोकतांत्रिक शासन पर भी लागू होता है।

विदेश नीति और नैतिक साहस

भारत की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए प्रो. मथुरा का कहना है कि विदेश नीति केवल आर्थिक हितों से संचालित नहीं है; उनका एक नैतिक पहलू भी होता है। उनके अनुसार, भारत को आर्थिक विचारधारा के साथ-साथ दुनिया में अपने नैतिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र आवाज को भी बनाए रखना चाहिए।

ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी पश्चिम एशिया की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मामलों में गलत धारणा का नैतिक कौशल बनाए रखना चाहिए। वे नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उस समय भारत में कई अंतरराष्ट्रीय मस्जिदों पर स्वतंत्र राय से अधिक स्पष्टता से अपनी बात कही गई थी। आज, उनके अनुसार, भारत की विदेश नीति में आर्थिक और मौलिक हितों का महत्व बढ़ा है, लेकिन इसके साथ नैतिक स्वतंत्रता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।

पंजाब की राजनीति पर अपनी बात ख़त्म करते हुए प्रो. मथुरा मूलतः एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण वाला धार्मिक दृष्टिकोण सामने आता है जिसमें धार्मिकता, श्रम की गरिमा, सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक अलगाव को महत्वपूर्ण रूप से पहचाना जाता है। उनका मानना है कि पंजाब का इतिहास बताता है कि जब भी राजनीतिक हितों के लिए सामाजिक और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया जाता है, तब तक उनका नुकसान लंबे समय तक होता है। इसके विपरीत, पंजाब की वास्तविक शक्ति उसकी श्रमसाध्य संस्कृति, खुलापन और साझा सामाजिक विरासत में है।

कोशिश

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है।
मन का विश्वास रसों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा-जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जयजयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

आठ महिला विजेताओं को मिला डॉ. रमा सहरिया स्मारक सम्मान



एक स्मृति जो प्रेरणा बन गई

समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए किए गए कार्यों को पहचानना और उन्हें सार्वजनिक सम्मान देना केवल पुरस्कार प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी है, जिनके लिए सम्मानित व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। तृतीय डॉ. रमा सहारिया स्मृति पुरस्कार समारोह इसी भावना का महत्वपूर्ण अवसर बना।

डॉ. रमा सहारिया की स्मृति में आयोजित इस समारोह का उद्देश्य शिक्षा, मीडिया, लेखन, महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार, कला और सामाजिक सरोकारों से जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पहचान और सम्मान देना रहा। विभिन्न क्षेत्रों से आए अतिथियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों की उपस्थिति ने आयोजन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पुरस्कार प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज में ऐसे कार्यों को सामने लाना भी है जो अक्सर बिना किसी बड़े प्रचार के निरंतर किए जाते हैं। सम्मान किसी व्यक्ति की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि उसके कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा बन सकता है।

मंच से उठी सामाजिक सरोकारों की आवाज

समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों और मुख्य अतिथि ने अपने संबोधनों में सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, युवाओं की भूमिका और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर विचार रखे। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए सरकारी प्रयासों के साथ नागरिक समाज, संस्थाओं और व्यक्तियों की



सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।मुख्य अतिथि के संबोधन ने समारोह के उद्देश्य को व्यापक सामाजिक संदर्भ से जोड़ने का काम किया। वहीं अन्य विशिष्ट वक्ताओं ने अपने

अनुभवों के माध्यम से प्रतिभागियों को सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।

समारोह में सम्मान और स्मरण के साथ संवाद का वातावरण भी देखने को मिला। मंच पर दिए गए विचारों ने कार्यक्रम को केवल पुरस्कार समारोह न रहकर सामाजिक विषयों पर विचार-विमर्श का अवसर भी बनाया।

प्रतिभा और योगदान का सम्मान

तृतीय डॉ. रमा सहारिया स्मृति पुरस्कार समारोह की विशेषता रही कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को एक साझा मंच पर सम्मानित किया गया। शिक्षा, मीडिया और लेखन से लेकर महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार और कला तक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की उपलब्धियों को पहचान मिली।

शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग नई पीढ़ी को दिशा देते हैं। पत्रकारिता और लेखन समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाते हैं। महिला एवं बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग सामाजिक न्याय की दिशा में योगदान देते हैं, जबकि कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति समाज की संवेदनाओं को नई भाषा देती है।

पुरस्कार के साथ जिम्मेदारी का संदेश

समारोह में सम्मानित प्रतिभागियों को

शुभकामनाएँ देते हुए वक्ताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि पुरस्कार केवल उपलब्धि की स्वीकृति नहीं, बल्कि आगे भी बेहतर कार्य करने की जिम्मेदारी का प्रतीक है। सम्मानित प्रतिभाओं से अपेक्षा की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर समाज के लिए उपयोगी कार्यों को आगे बढ़ाएँ।

समारोह का एक महत्वपूर्ण पक्ष युवाओं की भागीदारी भी रहा। आज की युवा पीढ़ी के सामने रोजगार और व्यक्तिगत सफलता के साथ

सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न भी है। ऐसे आयोजन युवाओं को यह समझने का अवसर देते हैं कि व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ समाज के प्रति योगदान भी महत्वपूर्ण है।

प्रेस कवरेज ने बढ़ाई समारोह की पहुंच

काम नहीं किया, बल्कि सम्मानित प्रतिभाओं के कार्यों और उनके सामाजिक योगदान को भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया। किसी सामाजिक पहल की मीडिया में उपस्थिति उसके संदेश को कार्यक्रम स्थल से बाहर व्यापक समाज

डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल अवॉर्ड समारोह सम्पन्न

नई दिल्ली । एक की के एम फाउंडेशन द्वारा एवं ई. रामभाव ने आयोजित तृतीय डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल अवॉर्ड समारोह का अवसर पर अनेक विभूतियों, विद्वानों, संगठनों तथा कामगारों इत्यद्, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित मुान अत्य सेवाभाव से असाधारण योगदान दिया है, उन्हें इस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया । कार्यक्रम में स्कीम समूह अतिथि पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार सुबोध कात्व सहाय एवं अन्य विषिष्ट अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार अधिक्ता करवे, पूर्व अध्यक्ष हवर्डर्स फराद, न्यायालयों पो. ए ई. विरजानंद एवं कार्यक्रम संयोजक विश्वविहालल में द्ववं विनोद प्रधान, जमशेद इस्लाम के राष्ट्रीय



जोशी ने दिल्ली में बढ़ाया उत्तराखंड

आठ प्रतिभाशाली महिलाओं को मिला डा. रमा सहारिया स



6 हिन्द आत्मा लखनऊ www.hindatma.com

तृतीय डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह सम्पन्न



अकृर्रा रामा सहारिया मेमोरियल पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन

संदेश वाहक

ता में एकता का जीवंत उत्सव



Website: www.mahilaadhikarabhiyan.com

तृतीय डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह सम्पन्न

भारत के विभिन्न प्रदेशों की महिलाओं को लाइफ़टाइम पुरस्कार



□□□□□ □□· □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ — □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□

समारोह की एक उल्लेखनीय विशेषता उसकी मीडिया और प्रेस कवरेज भी रही। विभिन्न मीडिया माध्यमों में कार्यक्रम, पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं, अतिथियों के संबोधनों और आयोजन के सामाजिक उद्देश्य को स्थान मिला। समाचार-पत्रों, डिजिटल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए समारोह की गतिविधियां व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचीं।

प्रेस कवरेज ने केवल आयोजन की सूचना देने का तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्मृति से संकल्प तक

किसी स्मृति को जीवंत रखने का सबसे प्रभावी तरीका केवल उसे याद करना नहीं, बल्कि उससे जुड़े मूल्यों को व्यवहार में उतारना है। तृतीय डॉ. रमा सहारिया स्मृति पुरस्कार समारोह इसी विचार को आगे बढ़ाता दिखाई दिया।

समारोह में सम्मानित प्रतिभाओं की विविधता यह

बताती है कि समाज में सकारात्मक योगदान के अनेक रास्ते हैं। कोई शिक्षा के माध्यम से बदलाव ला सकता है, कोई लेखनी और पत्रकारिता के माध्यम से, कोई महिला एवं बाल अधिकारों के लिए काम करके और कोई कला तथा रचनात्मकता के जरिए।

छोड़ता है—समाज में बदलाव केवल बड़े संस्थानों या सरकारों के प्रयास से नहीं आता। व्यक्तिगत स्तर पर किए गए छोटे-छोटे लेकिन निरंतर प्रयास भी सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव बन सकते हैं।

तृतीय स्मृति पुरस्कार समारोह इस दृष्टि से एक ऐसा मंच बना, जहां स्मृति को सम्मान मिला,



विचारों से आगे बढ़कर संकल्प

समारोह के दौरान दिए गए संबोधनों में एक साझा विचार उभरकर सामने आया—समाज में परिवर्तन के लिए केवल समस्याओं पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर निरंतर प्रयास भी आवश्यक हैं। वक्ताओं ने युवाओं को विशेष रूप से सामाजिक सरोकारों से जोड़ने और उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मंच पर सम्मान के क्षणों ने जहां प्रतिभागियों के लिए गौरव का अवसर बनाया, वहीं उपस्थित लोगों को भी सामाजिक दायित्व के प्रति सोचने का अवसर दिया। पुरस्कार समारोह की वास्तविकसफलता इसी में है कि सम्मानित कार्य दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें।

स्मृति से प्रेरणा तक

डॉ. रमा सहारिया की स्मृति में आयोजित यह आयोजन आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश

प्रतिभा को पहचान मिली, विचारों को मंच मिला और सामाजिक जिम्मेदारी को नई प्रेरणा मिली।

प्रेस और मीडिया की उपस्थिति ने इस संदेश को व्यापक समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह से जुड़ी खबरों और तस्वीरों ने न केवल आयोजन की झलक प्रस्तुत की, बल्कि उन लोगों की कहानियों को भी सामने लाने का अवसर दिया जिनका योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है।

आने वाले वर्षों में इस पहल का विस्तार अधिक प्रतिभाओं को सामने लाने और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही किसी स्मृति को स्थायी अर्थ देने का सबसे सार्थक तरीका भी है।

श्रम सुस्त कर देता है सभी इंद्रियोंको
और स्त्रियों के बारे में किसी भी ख़याल को

RNI NO.: UPHIN/2016/68336

हमारी वेबसाइट देखें
www.mediamap.co.in

जुड़िए एक ऐसे मंच से जो रखता है जनता की बात

भारत की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है?





गंभीर विश्लेषण, तथ्यों के साथ

शिक्षा और समाज नई चुनौतियां





समावेशी विकास ही सही दिशा

लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकार





जन सरोकारों पर बेबाक चर्चा

मानवता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व





एक बेहतर, शांतिपूर्ण कल के लिए

हमारा YouTube चैनल देखें
Media Map Network

SUBSCRIBE

सोचें
देखें
समझें
साझा करें



जनसंवाद 7 : खानपान पर रोक क्यों? Ep-124
3 views • 4 hours ago



जन संवाद 6 : नेता हो या गुणाह, दोथी से क्यों डरना? Ep-123
4 views • 4 hours ago



विविध 15 : जन को भी छह महीने की सजा : Ep-122
27 views • 21 hours ago



विविध-14 : कंपनी की तानाशाही - आपके प्रोडक्ट को ट्रायल बना रहे हैं! Ep-121
6 views • 23 hours ago

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विचार के दर्शन से जुड़ा, मीडिया मैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों के सहयोग से स्वतंत्र, निष्पक्ष और जनोन्मुख पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

आपका सहयोग हमारे इस प्रयास को निरंतर और सशक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

- स्वतंत्र पत्रकारिता
- जन सरोकार
- समावेशी समाज
- रचनात्मक विचार
- बेहतर कल के लिए

"स्वतंत्र मीडिया, सशक्त समाज"

आइए, सकारात्मक बदलाव की इस पहल से जुड़ें।

SBI
MEDIA MAP
SCAN & PAY

UPI ID: 9810385757@sbi

- State Bank of India
- Account No. 43812481024
- IFSC : SBIN0005226

आपका छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है

www.mediamap.co.in | Media Map Network

सत्य, संवाद और समाधान के साथ

Your Home in the

Himalayan Paradise

SCHOLARS DESTINATION

GUEST HOUSE

MUKTESHWAR | UTTARAKHAND

A Peaceful Retreat for

Scholars, Researchers, Thinkers & Travellers

- Breathtaking Himalayan Views
- Free Wi-Fi
- Comfortable Accommodation
- Quiet Spaces for Study & Work
- Home-cooked Delicious Food
- Easy Access & Safe Parking



Comfortable Bedrooms



Spacious Balcony

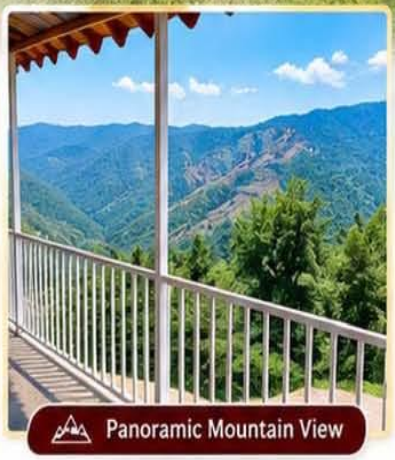

Panoramic Mountain View



Clean & Hygienic Bathrooms

BOOK YOUR STAY TODAY

9910322682

230 GEHNA, MUKTESHWAR
UTTARAKHAND - 263031

Peace | Nature | Inspiration

Come for the View... Stay for the Peace!